रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1972/ माघ 16, 1893
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1972/MAGHA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 31st May, 1971

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of persons to the posts of Assistant Education Officers and Evaluators for Correspondence course in the Central Hindi Directorate, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Central Hindi Directorate Assistant Education Officers and Evaluators for Correspondence Course Recruitment Rules, 1970.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified to columns 2 to 4 of the said Schedule

4 **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment of the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the age limit specified in column 6 of the said schedule for direct recruitments may be relaxed in the case of persons belonging to any Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification.**—(a) No person, who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the said posts; and

(b) No woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Assistant Education Officer/Evaluator (Correspondence Course) in the Ministry of Education & Social Welefare, Central Hindi Directorate

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Education Officer (Correspondence Course)	3	General Central Service Class H Gazetted Non-Ministerial	Rs. 400-25-500-30-590-EB-30-680.	Not applicable.	35 years and below (Relaxable for Government servants)	*Essential* : (i) Second Class Master's Degree in Hindi with English as one of the subjects at Degree level from a recognised University or equivalent. (ii) Degree or Diploma in Education of a recognised University or Institution. (iii) About 5 years' experience of teaching Hindi, preferably non-Hindi to speaking people (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : Working knowledge of a least one modern India. language other than Hindi

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission. (Exemption from consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
Evaluator	15	General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575.	Not applicable	35 yrs. and below (Relaxable for Government servants).	*Essential* : (i) Second Class Master's degree in Hindi with English as one of the subjects at Degree level from a recognised University or equivalent. (ii) Degree or Diploma in Education of a recognised Univ. or Instt. (iii) About 3 years' experience of teaching Hindi preferably to non-Hindi speaking people. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : Working knowledge of at least one modern Indian language other than Hindi

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable.	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 21-55/68-H. I]

N. K. CHAUHAN,
Assistant Educational Adviser.

शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1971

जी० एस० आर० 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए सहायक शिक्षा अधिकारियों और मूल्यांककों के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए सहायक शिक्षा अधिकारी और मूल्यांकक भर्ती नियम, 1970 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे अनुबद्ध अनसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और किसी अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी।

5. **निरर्हता.**—(क) कोई भी व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें उस पत्नी के जीवनकाल में किए जाने के कारण वह विवाह शून्य हो, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(ख) कोई भी स्त्री, जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी, या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा आदेश देने के लिए विशेष आधार हैं, जो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक शिक्षा अधिकारी	3	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित अननुसचिवीय।	400–25–500–30–590–द०रो०–30–680 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवाओं के लिये शिथिल की जा सकती है)	**आवश्यक :** 1. स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में मास्टर की डिग्री या समतुल्य, 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा, 3. हिन्दी पढ़ाने का, अधिमानत. अहिन्दी भाषी लोगों को लगभग 3 वर्ष का अनुभव लगभग (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है) **वांछनीय :** हिन्दी से भिन्न कम से कम किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा में कार्यकारी ज्ञान

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों पर लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि यदि हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

1	2	3	4	5	6	7
मूल्यांकक	15	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 अराजपत्रित अननुसचिवीय।	325–15–475–द०रो०–20–575 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष और उससे कम (सहकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है)	**आवश्यक :** 1. स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से द्वितीय श्रेणी में मास्टर की डिग्री या समतुल्य, 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थान की शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा, 3. हिन्दी पढ़ाने का, अधिमानतः अहिन्दी भाषी लोगों को लग-भग 5 वर्ष का अनुभव लगभग (अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में, अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं) **वांछनीय :** हिन्दी से भिन्न कम से कम किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा में कार्यकारी ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

[सं० फा० 21-55/68-एच-1.]

नरेन्द्र कुमार चौहान,
सहायक शिक्षा सलाहकार।

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 24th December 1971

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Zoological Survey of India (Central Service Class III Posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Zoological Survey of India (Central Service Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Zoological Survey of India (Central Service Class III posts) Recruitment Rules, 1963, in the Schedule, after Serial No. 41 relating to the post of "Hindi Translator" and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

Zoological Survey of India Recruitment rules for Class III posts

Sl. No.	Name of the posts	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection (posts for promotion posts only)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfers and percentage of the vacancie to be filled by various methods.
1	2	3	4	5	6	7
42.	Senior Stenographer	1	General Central Service, Class III (Non-Gazetted Ministerial).	Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425	Non-Selection	100% by Promotion failing which, by direct recruitment.

For direct recruits only		Period of probation/ trial, if any	Whether age and educational qualifications prescribed for direct rectt. will apply in the case of promotees etc.	In case of recruitment by promotion/ transfer grades from which promotion/ transfer to be made	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
Age limit	Educational qualifications required				
8	9	10	11	12	13
24—30 years.	*Essential* : (i) Matriculation or equivalent Examination. (ii) Should have minimum speed of 120 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typing. *Desirable* : (i) Previous experience as a stenographer or a personal Assistant in a Government office or a commercial firm. (ii) Ability to read and write Hindi.	2 years.	No	*Promotion* : Stenographer with 3 years service in the grade.	Not applicable.

[No. A12018(11)/71-Sur.3.]

K. K. KHULLAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 1971

सा० का० नि० 133 — राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग III पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1963 में, अनुसूची में "हिन्दी अनुवादक" पद से संबंधित क्रम सं० 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम स० और प्रविष्टिया अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

वर्ग III पदों के लिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण भर्ती नियम

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद (केवल प्रोन्नति पदों के लिए	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
42	ज्येष्ठ आशुलिपिक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग III (अराजपत्रित. अननुसचिवीय)	210–10–290–15–320–द० रो०–15–425 रु०	अचयन	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए: आयु-सीमा	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए: अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं	परिवीक्षा/परीक्षण की अवधि यदि हो	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
24–30 वर्ष	आवश्यक : (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा। (ii) आशुलिपि में कम से कम 120 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वांछनीय : (i) किसी सरकारी कार्यालय या वाणिज्यिक फर्म में आशुलिपिक या निजी सहायक के रूप में पूर्व अनुभव। (ii) हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता।	दो वर्ष	नहीं	प्रोन्नति : आशुलिपिक, इस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा सहित।	लागू नहीं होता

[सं० क 12018(11)/71-सर्वे-3]

के० के० खुल्लर, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th December, 1971

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer on Special Duty (Films) in the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Information and Broadcasting Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

THE SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection posts	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	
Officer on Special Duty (Films).	1	General Central Service Class I, Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 700—40—1100—50/2—1250.	Not applicable.	40 years (Relaxable for Government servants)	*Essential:* (*i*) Degree of a recognised University or equivalent. (*ii*) At least 5 years administrative experience preferably relating to social and cultural functions. (*iii*) Knowledge of Government rules and regulations and financial procedures. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable :* Knowledge and background of world Cinema in general and Indian Cinema and various performing arts in particular.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	*Transfer on deputation* : Officers under the Central or State Governments holding analogous posts or those holding posts in the pay scale of of Rs. 400—950 or equivalent with 5 year's service in the grade, or those holding posts in the pay scale of Rs. 350—900 or equivalent with 8 years in the grade and possessing the quaifications prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission.

[No. F.A-12018/1/71-Admn. II.]

S. N. MITAL, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

जी० एस० आर० 134.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति एतद्द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (फिल्म) के पद पर भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय भर्ती नियमावली 1971 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान**:—पद की संख्या इसका वर्गीकरण तथा इससे सम्बन्धित वेतनमान इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये अनुसार होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं, आदि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें तथा इनसे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये अनुसार होंगे ।

4. **अनर्हताएं** :— (क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो ।

वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा/होगी ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किये जाने के अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. **छूट देने का अधिकार** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
विशेष कार्य अधिकारी (फिल्म)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, प्रथम श्रेणी, राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	700–40–1100–50/2–1250 रुपये	लागू नहीं होता	40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)

सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिये शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हतायें	क्या सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें पदोन्नति से रखे जाने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती पद्धति सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष । (2) न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव विशेषकर सामाजिक तथा सांस्कृतिक समारोहों के सम्बन्ध में । (3) सरकारी नियमों तथा विनियमों और वित्तीय प्रक्रिया का ज्ञान । (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवार के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है) : **वांछनीय** : सामान्य रूप से विश्व सिनेमा तथा विशेष रूप से भारतीय सिनेमा एवं विभिन्न अभिनय कलाओं की पृष्ठभूमि और जानकारी ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किये जाने के लिये वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी या वे अधिकारी जो 400—950 रुपये के या इसके समकक्ष वेतनमान के पदों पर कार्य कर रहे हों और इस ग्रेड से 5 वर्ष का अनुभव रखते हों या वे अधिकारी जो 350—900 रुपये या इसके समकक्ष वेतनमान के पदों पर कार्य कर रहे हों और इस ग्रेड में 8 वर्ष का अनुभव रखते हों और कालम 7 के अन्तर्गत सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिये निर्धारित अर्हतायें रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

[सं० फा० 12018/1/71-प्रशासन-दो]

एम० एन० मित्तल, अवर सचिव।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi the 3rd January 1972

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Head Registration Scheme (Class III anl Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Herd Registration Scheme (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Herd Registration Scheme (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, for serial No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
"	2. Publicity Assistant	Two	General Central Service Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Not applicable	Not exceeding 30 years.

8	9	10	11	12	13	14
Essential: Degree or Diploma in Veterinary Science/ Animal Husbandry/ Agriculture. *Desirable*: (i) Two years' experience in Livestock Development work. (ii) Experience in publicity work.	Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. A-11020/15/71-EE. III.]

R. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

कृषि विभाग

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972

जी०एस०आर० 135.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूथ रजिस्ट्रीकरण स्कीम (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम यूथ रजिस्ट्रीकरण स्कीम (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. यूथ रजिस्ट्रीकरण स्कीम (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में, क्रम सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
"2	प्रचार सहायक	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 अराजपत्रित अनुसचिवीय	210—10—290—15— 320—द०रो०—15— 425 ।	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक न हो

8	9	10	11	12	13	14
आवश्यक । पशुचिकित्सा विज्ञान पशु-पालन / कृषि में उपाधि या डिप्लोमा । वांछनीय : (i) पशुधन विकास कार्य का दो वर्ष का अनुभव । (ii) प्रचार कार्य का अनुभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० ए-11020/15/71-ई०ई०-2]
रा० सुब्रह्मण्यम, अवर सचिव ।

(Department of Food)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th December 1971

G.S.R. 136.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 1266, dated the 7th September, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), at pages 871-872,—

at page 872, line 3, *for* "substituted"

read "inserted".

[No. 1-31/70-S. PY.]

A. N. CHADDHA, Under Secy.

(खाद्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

जी०एस०आर० **136.**—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) का आदेश सं० सा० का०नि० 1266 दिनांक 7 सितम्बर, 1971 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पृष्ठ 872-873 पर प्रकाशित हुआ था, में पृष्ठ 872 की सातवीं लाइन में "प्रतिस्थापित" के स्थान पर "अन्तर्निविष्ट" पढ़ा जाए।

[सं० 1-31/70-एस० पालिसी]

अमर नाथ चड्ढा, अवर सचिव।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 20th December 1971

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Controller of Transport in the Department of Family Planning, namely:

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Family Planning (Deputy Controller of Transport) Recruitment Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification**: No person;—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other's grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

The Schedule

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruit	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Controller of Transport	1	General Central Service Class I Gazetted]	Rs. 700-40-1100-50-/2-1250	Not applicable	40 years (Relaxable for Government Servants)	

Col No. 7 *Essential* :

(i) Degree in Mechanical or Automobile Engineering of a recognised University or equivalent.

(ii) About 5 years experience in a responsible capacity in an automobile workshop of repute connected both with maintenance, repair and purchase.

(iii) Administrative experience in a Road Transport Undertaking including preparation of standard estimates and planning for efficiency.

(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a D. P. C. exists, what is its composition.	Circumstances in which U. P. S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not Appplicable	Not Applicable	As required Under the U. P. S. C. (Exemption from consultation) Regulations, 1958

[No. A 12018/7/70 Estt. I.]

R P.MARWAHA)

Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1971

जी०एस०आर० 137.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा परिवार नियोजन विभाग में परिवहन उप नियंत्रक के पद की भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:

1. **संक्षिप्त शिर्षक और प्रारम्भ**.— (क) इन नियमों को परिवार नियोजन विभाग (परिवहन उप नियंत्रक) भर्ती नियमावली 1971 कहा जाए ।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.—इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा और अर्हताएं आदि**.— भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं और उन से सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं ।

4. **अनर्हताएं**.—वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह इस प्रकार के व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. **छूट देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से आदेश जारी कर छूट दे सकती है ।

6. **प्रतिबन्ध**.— इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों में निहित किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
परिवहन उपनियंत्रक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित	रु० 700—40—1100—50/2—1250	लागू नहीं होता	40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की मकैनिकल अथवा आटोमोबाईल इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा समकक्ष । (2) रखरखाव, मरम्मत और खरीद का काम करने वाले किसी प्रसिद्ध आटोमोबाईल कारखाने में किसी उत्तरदायी पद पर लगभग 5 वर्ष का अनुभव । (3) मानक अनुमान तैयार करने तथा कार्यकुशलता के लिए आयोजन सहित किसी सड़क परिवहन उपक्रम में प्रशासनिक अनुभव । अन्यथा अच्छी अर्हता-प्राप्त प्रत्यायियों के लिये आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय ।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली 1958 के अधीन यथापेक्षित ।

[सं० ए० 12018/7/70-स्थापना-1.]
आर० पी० मरवाहा, अवर सचिव ।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 31st December 1971

G.S.R. 138.—Whereas the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur had failed to elect a trustee to the Board of Trustees for the Port of Kandla under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), within the period specified therefor under sub-section (4) of the said section 3;

And, whereas, the Central Government had in pursuance of sub-section (1) of section 12 of the said Act directed that the election shall be held on or before the 15th December, 1971, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. 2-PG(49)/70, dated the 10th December, 1971;

And, whereas, the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur, has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act elected Shri V. N. Kak as a trustee to represent them on the Board of Trustees for the port of Kandla, before the 15th December, 1971;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies the election of Shri V. N. Kak as a trustee on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

[No. 2-PG(49)/70.]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 138.—यत: महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, जयपुर, कांडला पत्तन के लिए न्यासियों के बोर्ड पर न्यासी, उक्त धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि में निर्वाचित करने में असफल रहा है;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना स० 2-पी जी (49)/70, तारीख 10 दिसम्बर, 1971 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में यह निदेश दिया था कि निर्वाचन 15 दिसम्बर, 1971 को या उससे पूर्व किया जाएगा ;

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, जयपुर ने कांडला पत्तन के लिए न्यासियों के बोर्ड पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री वी० एन० काक को 15 दिसम्बर, 1971 से पूर्व न्यासी के रूप में निर्वाचित किया है ;

अत:, अब, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कांडला पत्तन के लिए न्यासियों के बोर्ड के न्यासी के रूप में श्री वी० एन० काक का निर्वाचन अधिसूचित करती है ।

[सं० 2-पी जी (49)/70]

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) Rules, 1957, for Schedule I, the following Schedule shall be substituted namely:—

"SCHEDULE I

[*See* Rule 2(iii)]

Sl. No.	Description of the vessel	Rate of fees
1.	All mechanically propelled vessels except sailing vessels not exceeding 500 tons net tonnage.	Rs. 12 per 100 tons of net registered tonnage with a minimum charge of Rs. 60 per vessel.
2.	All other vessels when services of port pilot are actually made use of.	Rs. 60 per vessel".

[No. 17-PG(29)/71.]

सा०का०नि० 139.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विशाखापटनम पत्तन कनहारी (फीस) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम विशाखापटनम पत्तन कनहारी (फीस) नियम (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. विशाखापटनम पत्तन कनहारी (फीस) नियम, 1957 में

अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

अनुसूची 1

[नियम 2 (iii) देखें]

क्रम सं०	जलयान का विवरण	फीस की दर
1	सभी मशीन नोदित जलयान सिवाय ठीक पांच सौ टन से अनधिक रजिस्ट्रीकृत टनेज के पाल जलयान।	कम से कम 60 रु० प्रति जलयान के प्रभार सहित ठीक रजिस्ट्रीकृत टनेज का प्रति सौ टन 12 रु०
2	जब पत्तन पाइलट की सेवाओं का वास्तव में प्रयोग किया जाता हो, सभी अन्य जलयान।	60 रुपए जलयान

[सं० 17—पी० जी० (29)/71]

New Delhi, the 4th January 1972

G.S.R. 140.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 64A of the Bombay Port Trust Act, 1879 (Bombay Act VI of 1879), the Central Government hereby exempts uncleared goods lying on the premises of the Board for more than two months from the date on which such goods were placed in the custody of the Board and which remain unsold after having been put up for public auction on two occasions under sub-section (2) of the said section 64A, from the operation of section 64A of the said Act.

[No. F. 8-PG(32)/70.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

नयी दिल्ली, 4 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 140—मुम्बई पत्तन न्यास अधिनियम, 1879 (1879 का मुम्बई अधिनियम 6) की धारा 64क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा न भेजे गये माल को, जो बोर्ड की अभिरक्षा में आने की तारीख से 2 महीने से अधिक से बोर्ड के परिसर में पड़ा हुआ है और जो उक्त धारा 64क की उपधारा (2) के अधीन दो सार्वजनिक नीलामी पर रखे जाने के बाद भी विक्रय नहीं किया जा सकता है, उक्त अधिनियम की धारा 64क के प्रवर्तन से मुक्त करती है ।

[सं० फा० 8—पी जी (32)/70]

क० ल० गुप्ता, अवर सचिव ।

नयी दिल्ली, 28, जनवरी 1969

सा० का० नि० 215—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 284 की उपधारा (1) और धारा 299ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाने की प्रस्थापना करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये जिनका एतद्द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, उक्त धारा 299ख की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 1971 के नम्बर के बीसवें दिन या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव जो किसी व्यक्ति से यथा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

1—**संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, लागू होना और अपवाद** :—(1) ये नियम वाणिज्य पोतपरिवहन (स्थौरा पोत मन्निमणि और सर्वेक्षण) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त हो जायेंगे

(3) जब तक अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो ये—

(i) क्रीड़ा नौकाओं तथा मत्स्य जलयानों से भिन्न, सकल 500 टन या अधिक के भारत में रजिस्ट्रीकृत सभी समुद्र पर जाने वाले स्थौरा पोतों,

(ii) क्रीड़ा नौकाओं तथा मत्स्य जलयानों से भिन्न सकल 50 टन या अधिक के सभी समुद्र पर जाने वाले स्थौरा पोतों, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, जब वे भारत में किसी पत्तन या स्थात पर, या भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र में हों;

को लागू होंगे ।

परन्तु, उपनियम (1) के सिवाय नियम 4 नियम 6 से 12 जिसमें ये दोनों नियम सम्मिलित हैं, नियम 13 का उपनियम (2), नियम 18 का उपनियम (2), नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ग) और (घ), नियम 24 उपनियम (1) के सिवाय नियम 25, नियम 27 और नियम 29 का उपनियम (2) ऐसे किसी पोत को लागू नहीं होंगे जिसका पठाण 20 मई, 1965 से पूर्व डाला गया हो।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "ख वर्ग पेनल" से वह पेनल अभिप्रेत है जो इन नियमों के नियम 12 की अपेक्षाओं के अनुसार है;

(ग) "पोत भीत डैक" से वह सर्वोच्च डैक अभिप्रेत है जिस तक आड़ी जल रोक पोत भीतों की बहुसंख्या ले जाई जाती है;

(घ) "स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र" इन नियमों के अधीन सकल 500 टन या अधिक के किसी पोत को जो अन्तर्राष्ट्रीय जल यात्रा में नहीं लगा हो, दिया गया स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र" से इन नियमों के अधीन किसी सकल 500 टन या अधिक के पोत को, जो अन्तर्राष्ट्रीय जल यात्रा में लगा है, दिया गया स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र, अभिप्रेत है;

(च) "दहनशील सामग्री" से वह सामग्री अभिप्रेत है जो अदहनशील सामग्री नहीं है;

(छ) "नियंत्रण स्टेशन" से वे जगहें अभिप्रेत है, जिसमें रेडियो उपस्कर मुख्य नौपरिवाहक उपस्कर केंद्रीय अग्नि अभिलेखन उपस्कर या आपात जनित्र अवस्थित है या हैं;

(ज) "समतुल्य सामग्री" से "इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री" पदाभिव्यक्ति में जहां ये शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं, ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जो अपने आप या रोधन विसवाहन की व्यवस्था होने के कारण समुचित अग्नि परीक्षण के पश्चात् इस्पात के समतुल्य संरचना और साकरय गुण रखती हो;

(झ) "सकल टन भार" के वही अर्थ हैं जो इसे वाणिज्य पोत परिवहन (टन भार माप) नियम, 1960 में दिये गये हैं, सिवाय इसके कि जहां पोत का दोहरा टन भार है, इन नियमों के प्रयोजन के लिये, इनमें से जो भी अधिक हो वही इसका टन भार समझा जायेगा;

(ञ) "अदाह्य सामग्री" से ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है जो न जलती है, और न पाइलट ज्वाला पर, जब वह लगभग 750° से० तक गर्म की जाती है, जलने के लिये पर्याप्त मात्रा में ज्वलन शील वाष्प छोड़ती है;

(ट) "लम्बाई" से, पोत की लम्बाई के संबंध में निम्नलिखित लंबाई अभिप्रत है—

(i) ग्रीष्म भार जल रेखा पर माथे के अगले भाग से सुकान दण्ड के पिछले भाग तक मीटरों में लम्बाई, या

(ii) उन पोतों के जिनमें सुकान दण्ड नहीं हैं, माथ के अगले भाग से कुदास के अक्ष तक मीटरों में लंबाई, या

(iii) उन पोतों के लिये जिनमें कूबर पिच्छल है, मीटरों में लंबाई जो ग्रीष्म भार जल रेखा की कुल लम्बाई या माथे के अगले भाग से कुदास के अक्ष तक की लम्बाइ इनमें जो भी अधिक हो का 96 प्रतिशत लिया जायेगा;

(ठ) "मशीनरी नियंत्रण कक्ष" से वह कक्ष अभिप्रेत है जिससे नोदन की आवश्यकता को पूरी करने वाले नोदक मशीनरी तथा बायलर्स नियंत्रित किए जा सकें;

(ड) "मशीनरी जगह" से ऐसी कोई जगह जो नोदक सहायक या प्रशीतक मशीनरी, बायलर्स, पम्प, इंजिनर्स वर्कशाप, जनित्र, संवातन या वातानुकूल मशीनरी, तेल भरने वाले स्टशनों के प्रयोग में लाई जाती है तथा ऐसी ही जगहें और ऐसी जगहों के टंकवे अभिप्रत हैं;

(ढ) "अधिकतम सेवा गति" से वह अधिकतम गति अभिप्रेत है जिसे पोत समुद्र में अपने गहनतम समुद्र में जाने के प्रवाह को बनाये रखने के लिये डिजाइन किया गया हो;

(ण) "तेल इंधन एकक" से किसी तेल से चलने वाले बायलर के तेल बर्नर को प्रदत्त करने के लिये तेल ईंधन की निर्मिति के लिये प्रयोग में लाए जाने वाला उपस्कर अभिप्रेत है और इसमें तेल दाब पंप, फिल्टर और हीटर भी सम्मिलित है;

(त) "निथार टंकी" से कोई तेल संचायक टंकी जिसका तापन तल प्रति टन तेल धारित के लिये 0.183 वर्ग मीटर से कम न हों, अभिप्रेत है;

(थ) "मानक अग्नि परीक्षण" से कोई परीक्षण अभिप्रेत है जिसमें सामग्री के परिक्षित किये जाने वाले नमूने को, जिसका तल क्षेत्रफल 4.65 वर्ग मीटर से कम न हो और उंचाई 2.44 मीटर से कम न हो, समय ताप क्रम-संबंध आवली के लिये परीक्षण भट्टी में लगभग निम्नलिखित प्रकार से खुला छोड़ा जाता है अर्थात :—

(i)	प्रथम पांच मिनट के अन्त में	538° से०
(ii)	प्रथम दस मिनट के अन्त में	704° से०
(iii)	प्रथम तीस मिनट के अन्त में	843° से०
(iv)	प्रथम साठ मिनट के अन्त में	927° से०

अभिप्रत है;

(द) "कर्ण-गियर शक्ति एकक" से—

(i) इलैक्ट्रोनिक कर्ण-गियर की दशा में विद्युत मोटर और इसके सहयुक्त विद्युत उपस्कर; या

(ii) विद्युत द्रवचालित कर्ण-गियर की दशा में, विद्युत मोटर इसके सहयुक्त विद्युत उपस्कर और सम्बद्ध पंप;

(iii) वाष्प द्रव चालित या गैसिल द्रवचालित कर्णगियर की दशा में, चालन इंजन और संबद्ध पंप;

अभिप्रेत है;

(ध) सामग्री के संबंध में "यथोचित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिये यथोचित अनुमोदित किया जाना अभिप्रेत है जिसके लिये सका प्रयोग होता है;

(न) "कार्य दिवस" से रविवार या बंद अवकाश दिन जिसमें मास के दूसरे शनिवार भी सम्मिलित है के सिवाय कई दिन जिसको वाणिज्यिक सामुद्रिक विभाग के कार्यालय कारबार का संव्यवहार करने के लिये खुले हो, अभिप्रेत है ।

3. **संरचनात्मक शक्ति** :—हर पोत की संरचनात्मक शक्ति और आड़ी जल रोक पोत भीत की संख्या तथा व्यवस्था, उस सेवा के लिऐ जिसके लिये पोत आशयित है, पर्याप्त होगी ।

4. **जल रोक दरवाजे**.—(1) हर पोत में जिसमें जलरोक दरवाजों का पोत भीत की जलरोक साकल्य को बनाए रखने के लिये प्रबंध किया गया है, ऐसा हर जल रोक दरवाजा यथोचित सामग्री से बनाया जायेगा और उसकी संरचना दक्षता से की जायेगी ।

(2) हर पोत में—

(क) विसर्पी प्रकार का हर जल रोक दरवाजा दोनों, दरवाजों पर और पोत भीत डैक के ऊपर किसी सुगम स्थिति से, दक्ष हस्त चालित गियर द्वारा प्रचालित किये जाने योग्य होगा;

(ख) वह गियर जो पोतभीत डैक के ऊपर से किसी मशीनरी जगह के पोतभीत में लगे हुए किसी विसर्पी जल रोक दरवाजों को प्रचालित करने के लिये, प्रचालित किया जाता हो, मशीनरी जगह के बाहर स्थित होगा जब तक कि ऐसी स्थिति आवश्यक गियारिंग की प्रभावशाली व्यवस्था के लिये असंगत न हो ;

(ग) जहां मशीनरी जगह के निचले हिस्से से जल रोक धरा सुरंग के लिये पहुंच हो वहां पहुंच मार्ग में विसर्पी जल रोक दरवाजा जो दरवाजे के दोनों ओर से स्थानीय रूप से प्रचालित किये जाने के योग्य होगा लगाया जायेगा ;

(घ) दूरस्थ प्रचालित स्थितियों पर, जब विसर्पी दरवाजा बंद हो, को उपदर्शित करने के लिये साधनों का प्रबंध किया जायेगा ;

(ङ) जल रोक दरवाजे, जब पोत दोनों ओर 15 अंश तक झुका हो, प्रचालित किये जाने योग्य होंगे ।

5. **निस्तल पंप व्यवस्था**.—हर पोत में दक्ष निस्तल पंप संस्थापित होगा तथा जल निकास के साधनों को ऐसे व्यवस्थित किया जायेगा कि खोल के किसी भाग में प्रविष्ट जल (उस जगह से भिन्न जो ताजे जल, जल नीरम तेल इंधन या द्रव स्थोरा को ले जाने के लिये स्थायी तौर से विनियुक्त हो और जिसके लिये पंप करने या जल निकास के अन्य दक्ष साधनों का प्रबंध हो) कम से कम एक चूषण पंप से, जब पोत समतल पर या दोनों ओर 5 अंश से अनधिक झुका हो बाहर निकाला जा सके । इस प्रयोजन के लिए जहां आवश्यक होगा कक्ष चूषण का प्रबंध किया जाएगा । ऐसे दक्ष साधनों का प्रबंध किया जायेगा जहां से जल चूषण पाइपों में सुगमता से बह सके ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उसका समाधान हो जाये कि तद् द्वारा पोत की सुरक्षा का ह्रास नहीं होता किसी पोत या पोतों के वर्ग के विशिष्ट कक्षों में पंप किये जाने या जल निकास के साधनों की अभियुक्ति को अनुज्ञात कर सकेगी ।

6. **विद्युत उपस्कर और संस्थान**.— (1) हर पोत में विद्युत उपस्कर और संस्थापन, जिसमें नोदन के कोई विद्युत साधन सम्मिलित है, ऐसे होंगे कि पोत और उस पर सवार सब व्यक्तियों का विद्युत संकट से बचाव हो सके और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिगृहित मानकों के अनुरूप होंगे ।

(2) हर पोत में, जिसमें विद्युत शक्ति ही पोत के नोदन या सुरक्षा के लिये आवश्यक सहायक सेवाओं को बनाये रखने के लिये एक मात्र शक्ति है, ऐसी शक्ति के दो या अधिक जनित्र सैटों का बंध किया जायेगा जिससे कि पूर्वोक्त सेवाए, जब सैटों में से कोई एक खराब हो बनायी रखी जा सके ।

(3) हर पोत में जिसके विद्युत भार में पोत की नोदन या सुरक्षा के लिये आवश्यक सेवाए सम्मिलित है और प्रसामान्य समुद्रभार ऐसा है कि दो या अधिक जनित्रों की एक साथ कार्यचालन की अपेक्षा है, पर्याप्त अनावश्यक भार को स्वतः निर्मुक्त करने, का जब कुल धारा संसक्त जनित्र धारिता से अधिक हो जाती है प्रबंध किया जायेगा ।

7. **सकल 5000 टन या अधिक के पोतों में विद्युत शक्ति के आपात**.—(1) सकल 5000 टन या अधिक के हर पोत में एक स्वतः पूर्ण विद्युत शक्ति के आपात स्रोत का सर्वोच्च सपाट डैक के ऊपर की स्थिति में और मशीनरी खोलों के बाहरी तरफ प्रबंध इस प्रकार व्यवस्थित किया जायगा कि इसका, अग्नि या अन्य दुर्घटना की दशा में जिससे मुख्य विद्युत संस्थापन में खराबी पैदा हो, काम करना सुनिश्चित हो ।

(2) ऐसे हर पोत में उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्रोत, निम्नलिखित सेवाओं को साथ साथ छह घंटे से अन्यून क्रमवर्ती कालावधि के लिये प्रचालित करने में समर्थ होगा अर्थात

(क) भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (प्राण रक्षा सधित्र) नियम 1953 के अधीन अपेक्षित आपात प्रकाश;

(ख) वह आपात प्रकाश पद्धति जिसकी मुख्य मशीनरी जगह, पोत के मुख्य विद्युत जनित्र संयंत्र को रखने का स्थान, नौचालन कक्ष के ऊपर और चार्ट कक्ष में प्रबंध किया गया है ;

(ग) साधारण एलार्म यदि विद्युत से प्रचालित हों

(घ) पोत के नौपरिवहन दीप यदि केवल विद्युत के ही हों, और

(ङ) दिवालोक सिगनल लैंप यदि वह पोत के विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत द्वारा प्रचालित हो ।

(3) ऐसे हर पोत में –

(क) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्रोत या तो संचायक (स्टोरेज) बैटरियां होगी जो उपनियम (2) की अपेक्षा आंकियां, फिर से चार्ज हुए बिना या वोल्टता की अत्यधिक कमी हुए बिना अनुपालन करने में समर्थ हों, या यह अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी द्वारा चालित जनित्र जिससे स्वतन्त्र इंधन प्रदाय और चालू करने का दक्ष प्रबन्ध है, होगा और ऐसी मशीनरी के लिये प्रबंध किये गये इंधन का प्रज्वलन ताप 43° से० से अन्यून होगा ;

(ख) विद्युत शक्ति का आपात स्रोत इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि यह, जब पोत 22½ अंश झुका हो और जब पोत का झुकाव समतल से 10 अंश हो, दक्षता से प्रचालित होगा;

(ग) विद्युत शक्ति के आपात स्रोत और इसके सहयुक्त परिपथ के कालिक परीक्षण के लिये व्यवस्था की जायेगी ।

8. **सकल 1600 टन या अधिक लेकिन सकल 5000 टन से कम के पोतों में विद्युत शक्ति का आपात स्रोत.**— (1) सकल 1600 टन या अधिक लेकिन 5000 टन से कम के हर पोत में एक स्वतः पूर्ण विद्युत शक्ति के आपात स्त्रोत का सर्वोच्च सपाट डैक के ऊपर या उठे हुए चौथाई डैक की स्थिति में और मशीनरी खोलों के बाहरी तरफ प्रबंध इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि इसका, अग्नि या अन्य दुर्घटना की दशा में जिससे मुख्य विद्युत संस्थापन में खराबी पैदा हो, काम करना सुनिश्चित हो ।

(2) उपनियम (1) में अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत निम्नलिखित सेवाओं को साथ-साथ तीन घंटे से अन्यून क्रमवर्ती कालावधि के लिये प्रचालित करने में समर्थ होगा; अर्थात

(क) भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (प्राण रक्षा साधित्र) नियम, 1956 के अधीन अपेक्षित आपात प्रकाश;

(ख) साधारण एलार्म यदि विद्युत से प्रचालित हो;

(ग) पोत के नौपरिवहन दीप यदि केवल विद्युत के ही हो

(3) ऐसे हर पोत में

(क) उपनियम (1) के अधिन अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत या तो संचायक (स्टोरेज) बैटारियां होगी जो उपनियम (2) की अपेक्षाओं का, फिर से चार्ज हुए बिना या वोल्टता की अत्याधिक कमी हुए बिना, अनुपालन करने में समर्थ हों या अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी द्वारा चालित जनित्र होगा जिसमें स्वतन्त्र इंधन प्रदाय और चालू करने का दक्ष प्रबंध हो और ऐसी मशीनरी के लिये प्रबंध किये गये इंधन का प्रचालन ताप 43° से० से अन्यून होगा ;

(ख) विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत इस प्रकार व्ययस्थित किया जायेगा कि यह, जब पोत 22½ अंश झुका हो और जब पोत का समतल से झकाव 10 अंश हो, दक्षता से प्रचालित होगा ।

(ग) विद्युत शक्ति के आपात स्त्रोत और इसके सहयुक्त परिपथ के कालिक परीक्षण के लिये व्यवस्था की जायेगी ।

9. **सकल 1600 टन से कम के पोतों में विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत.**—(1) सकल 1600 टन से कम के हर पोत में जिसमें सर्वोच्च सपाट डैक के ऊपर या उठे हुए चौथाई डैक की स्थिति में और मशीनरी खोलों के बाहरी तरफ इसका विद्युत शक्ति का मुख्य स्त्रोत न हों, एक स्वतः पूर्ण विद्युत शक्ति के आपात स्त्रोत का सर्वोच्च सपाट डैक के ऊपर या उठे हुए चौथाई डैक की स्थिति में और मशीनरी खोलों के बाहरी तरफ प्रबन्ध इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि इसका, अग्नि या अन्य दुर्घटना की दशा मे जिससे मुख्य विद्युत सस्थापन में खराबी पैदा हो, काम करना सुनिश्चित हो ।

(2) उपनियम (1) में अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत निम्नलिखित सेवाओं को साथ साथ तीन घंटे से अन्यून क्रमवर्ती कालावधि के लिये प्रचालित करने में समर्थ होगा, अर्थात :—

(क) भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (प्राण रक्षक साधित्र) नियम, 1956 के अधीन अपेक्षित आपात प्रकाश;

(ख) साधारण एलार्म यदि विद्युत से प्रचालित हो

(ग) पोत के नौपरिवहन दीप यदि केवल विद्युत के ही हो ।

(3) ऐसे हर पोत में—

(क) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत या तो संचायक (स्टोरेज) बैटरियां होगी जो उपनियम (2) की अपेक्षाओं का, फिर से चार्ज हुये बिना या वोल्टता की अत्यधिक कमी हुये बिना, अनुपालन करने में समर्थ हों या अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी द्वारा चालित जनित्र होगा जिसमें स्वतंत्र इंधन प्रदाय और चालू करने का दक्ष प्रबंध हो और ऐसी मशीनरी के लिये प्रबंध किये गये इंधन का प्रज्वलन ताप 430 से० से अन्यून होगा;

(ख) विद्युत शक्ति का आपात स्रोत इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि यह, जब पोत 22 1/2 अंश झुका हो और जब पोत का समतल से झुकाव 10 अंश हो, दक्षता से प्रचालित होगा;

(ग) विद्युत शक्ति के आपात स्रोत और इसके सहयुक्त परिपथ के कालिक परीक्षण के लिये व्यवस्था की जाएगी।

10. **विद्युत और वैद्युतद्रवचालित कर्ण गियर.**—(1) हर पोत में जिसमें विद्युत या वैद्युत द्रव चालित कर्ण गियर लगा है उपदर्शकों का प्रबंध किया जायेगा जो, जब ऐसे कर्ण गियर के शक्ति एकक चालू हैं दर्शायेंगे, वे उपदर्शक, मशीनरी नियंत्रण कक्ष या ऐसी अन्य स्थित या स्थितियों जैसा कि केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे और संचालन कक्ष पर स्थित होंगे।

(2) सकल 5000 टन या अधिक के हर पोत में निम्नलिखित व्यवस्था की जायेगी, अर्थात :—

(क) विद्युत और वैद्युत द्रव चालित कर्ण गियर में मुख्य स्विच बोर्ड से दो परिपथ आयेंगे जिनमें से एक आपात स्विच बोर्ड में से यदि पोत पर कोई आपात स्विच बोर्ड का प्रबंध है, होकर जा सकता है। प्रत्येक परिपथ की सब मोटरों को जो इससे प्रसामान्यतः सम्बद्ध हैं और जो साथ साथ प्रचालित होती हैं शक्ति प्रदाय की पर्याप्त क्षमता होगी और यदि कर्ण गियर कक्ष में या तो किसी मोटर या मोटरों के समुच्चय को परिपथ शक्ति प्रदाय के अन्तरण का प्रबंध है, तो प्रत्येक परिपथ की अत्याधिक भार की दशा में के लिये पर्याप्त क्षमता होगी। परिपथ अपनी पूर्ण लंबाई भर में यावत्संभव चौड़ाई से अलग अलग रखा जायेगा।

(ख) ऐसे परिपथों और मोटरों के लिये केवल लघु-पथ संरक्षण का प्रबंध किया जायेगा

(3) सकल 5000 टन से कम हर पोत जिसमें मुख्य और सहायक दोनों, कर्ण गियरों के लिये विद्युत शक्ति ही एक मात्र शक्ति का स्रोत है, उपनियम (2) की अपेक्षाओं के अनुसार होगा सिवाय इसके कि यदि सहायक कर्ण गियर किसी मोटर द्वारा शक्तिकृत है जो प्राथमिकता: अन्य स्रोत के लिये आशयित है, यथोचित अति भार संरक्षण लगाये जा सकेंगे।

11. **आघात, अग्नि और विद्युत भूल के अन्य परिसंकटों से पूर्वावधानी.**—(1) हर पोत में सभी विद्युत उपस्कर इस प्रकार सन्निर्मित और संस्थापित किये जायग कि किसी व्यक्ति को, जो उन्हें उचित रीति से उपयोग कर रहा हो, क्षति का खतरा नहीं होगा। उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन जहां पोत के उपस्कर के रूप में दिया गया विद्युत उपस्कर का 55 वोल्ट से अधिक वोल्टीयता पर प्रचालित किया जाना अपेक्षित है, ऐसे उपस्कर के अरक्षित धातु भाग जिनका पृथ्वी की वोल्टीयता से अधिक वोल्टीयता रखना आशयित नहीं है लेकिन जो त्रुटिपूर्ण परिस्थितियों के अधीन ऐसी वोल्टीयता रख सकता है, भूयोजित कर दिये जायेंगे।

(2) हर पोत में जहां पोत के उपस्कर के रूप में दिये गये सुवाह्य विद्युत दीपकों, औजारों और समरूप उपकरणों का 55 वोल्ट से अधिक वोल्टीयता पर प्रचालित किया जाना अपेक्षित है के अरक्षित धातु भाग प्रदाय केबिल में संवाहक द्वारा भूयोजित कर दिये जायेंगे जब तक कि दोहरे रोधन के प्रयोग या यथोचित पृथक-कारी ट्रांसफारमर द्वारा कम से कम संवाहक द्वारा भूयोजित होने जैसे प्रभावशाली बचाव का प्रबंध न हो। जब विद्युत दीप, औजार या अन्य उपकरण आर्द्र जगह में प्रयोग होते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिये कि विद्युत आघातों का खतरा न्यूनतम हो जाये, या तत्साम्य प्रबंध किये जायेंगे।

(3) हर पोत में प्रत्येक मुख्य और आपात स्विच बोर्ड इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि उसके सामने और पीछे किसी व्यक्ति को बिना खतरे के पहुंच आसान हो। ऐसे हर स्विच बोर्ड की यथोचित रूप से रक्षा की जायेगी और जहां आवश्यक हो, इसके आगे और पीछे असंवाहक चटाई या जाली लगाई जाये गी। कोई भी आरक्षित भाग जिसकी संवाहकों के बीच में या भूगत वोल्टीयता, दिष्टधारा 250 वोल्ट या प्रत्यावर्ती धारा 55 वोल्ट, से अधिक है, किसी स्विच बोर्ड या नियंत्रण पेनल के सामने संस्थापित नहीं किया जायेगा।

(4) किसी पोत में वितरण की हल रिटर्न पद्धति प्रयुक्त नहीं की जायेगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार टैंकर से भिन्न किसी पोत को इस उपनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से छूट दे सकती है।

(5) हर पोत में प्रत्येक विद्युत केबिल, एपीप्रत्येक स्थिति जिसमें किसी विद्युत दोष से आग लग सकती है, ज्वाला गति रोधी, आच्छादित या कवचित या अन्यथा समानतः प्रभावशाली रूप से संरक्षित होंगे विद्युत केबिल के सभी धातु आच्छादों और धातु कवचों में विद्युत का अविरत प्रवाह रहेगा और वे भूयोजित होंगे।

(6) हर पोत में प्रकाश फिटिंग इस प्रकार व्यवस्थित की जायेगी कि ताप क्रम का बढ़ना, जो उसकी विद्युत वायरिंग के लिये क्षतिकर हो, या जिससे आस पास की सामग्री में आग का खतरा पैदा हो सकता है, रोका जा सके।

(7) हर पोत में वायरिंग में आलंबन इस प्रकार से लगाये जायेंगे कि रगड़ या अन्य क्षयन से बचा जा सके।

(8) हर पोत में,—

(क) प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ को लघुपथ से संरक्षित किया जायेगा,

(ख) पोत के कर्ण गियर को प्रचालित करने वाले परिपथ या किसी अन्य परिपथ जिसकी बाबत में केन्द्रीय सरकार ने छूट दे रखी है, से भिन्न ऐसे प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ अतिभार से संरक्षित किया जायेगा । प्रत्येक अतिभार संरक्षणात्मक युक्ति युक्ति के ऊपर या पास परिपथ की धारा वहन क्षमता जिसका यह संरक्षण करती है और युक्ति का वर्ग क्रम या विन्यास स्पष्ट और स्थायीरूप से उपदर्शित किया जायेगा ।

(9) हर पोत में सभी संचालक (स्टोरेज) बैटरियां बक्सों या डिब्बों में रखी जायेंगी जो बैटरियों को नुकसान से संरक्षित करने के लिये संनिर्मित हैं और विस्फोटक गैसों के संचयन को न्यूनतम करने के लिये संवातित हैं । युक्तियाँ किसी डिब्बे में, जो मुख्यतः सचायक बैटरियों के लिये समनुदेशित हैं, संस्थापित नहीं की जायेगी ।

(10) हर पोत में जिसमें विद्युत स्पेस हीटर, इसके उपस्कर का भाग है ऐसा हर विद्युत स्पेस होटर एसी स्थिति में लगाया जायेगा और इस प्रकार सन्निर्मित होगा जिससे कि आग लगने की जोखिम घट कर कम से कम हो जाये । ऐसा हीटर ऐसे किसी तत्व से संनिर्मित नहीं किया जायेगा जो कि इस प्रकार खुला छोड़ दिये जाने पर तत्व से निकले हुये ताप से कपड़ों, परदों या अन्य पदार्थों को झुलसा सके या उनमें आग लगा सके ।

12. **अग्नि परित्राण.—**

(1) यह उपनियम सकल 4000 टन या अधिक के सभी स्थौरा पोतों को लागू होगा और उपनियम (9) सकल 500 टन या अधिक के स्थौरा पोतों को भी लागू होगा ।

(2) किसी पोत में जिसमें पोपभीत को ख वर्ग पेनलों से संनिर्माण करने की अपेक्षा है, ऐसे पेनल तीस मिनट की अवधि के पूरे मानक अग्नि परीक्षण के दौरान ज्वाला पथ की रोकथाम करने में समर्थ होंगे ? इस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया गया हर एक अदाह्य ख वर्ग पेनल ऐसा होगा कि उसकी दोनों में से कोई सतह तीन मिनट की अवधि के मानक अग्नि परीक्षण के लिये अनावरित की जाये, तो पेनल की अनअनावरित सतह के औसत तापक्रम में परीक्षण के प्रथम 15 मिनट के दौरान वृद्धि नहीं होगी और परीक्षण की पूरी कालावधि के दौरान उस सतह के आरम्भिक तापक्रम से 139° सें० अधिक नहीं होगा और न ही उस के किसी एक बिन्दु पर आरंभिक तापक्रम से 225° सें० अधिक की वृद्धि होगी । इस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया गया हर एक दहनशील ख वर्ग पेनल ऐसा होगा कि यदि उसकी दोनों में से कोई सतह तीस मिनट की अवधि के लिये मानक अग्नि परीक्षण के लिये अनावरित की जाये तो पैनल की अनअनावरित सतह के औसत तापक्रम में उस सतह पर आरंभिक तापक्रम से 139 अंश सें० अधिक की वृद्धि नहीं होगी और न ही उस के किसी एक बिन्दु आरम्भिक तापक्रम से 225 सें० अधिक की वृद्धि होगी ।

(3) हर पोत में,—

(क) खोखा जिसमें अधिसंरचना, पोपभीत, डेक और डेक घर सम्मिलित है इस्पात से संनिर्मित किये जायेंगे;

परन्तु किन्हीं विशेष मामलों में केन्द्रीय सरकार आग की जोखिम को ध्यान में रखते हुये इनमें से किसी को भी ऐसी अन्य यथोचित सामग्री से, जैसा वह उचित समझे, संनिर्मित करने की अनुज्ञा दे सकती है ।

(ख) गलियारे पोतभीत जो वास जगह और नियंत्रण स्टेशन का काम करते हैं, इस्पात या ख वर्ग पेनलों से निर्मित किये जायेंगे ।

(4) हर पोत में,—

(क) द्वार और गलियारे पोपभीतों में इसी प्रकार के पथ स्थायी रूप से संलग्न दरवाजों या पटों द्वारा बन्द किये जाने योग्य होंगे ।

(ख) ऐसे पोतभीतों में संवाती पटों की संख्या कम से कम रखी जायेगी । ऐसे पट, जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य हो, दरवाजे के निचले भाग में होंगे ।

(5) हर पोत में वास जगहों के भीतर आन्तरिक जीना, सीढ़ियां और कर्मीदल लिफ्ट ट्रंक इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री से संन्निर्मित किये जायेंगे ।

(6) हर पोत में किसी आपात जनित्र कक्ष की सीमा पोत भीत और रसोई, पेंट कक्ष, दीप-कक्ष या मोटा स्वेन के भंडार को पथक करने वाले पोत भीत इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री से संन्निर्मित किये जायेंगे ।

(7) हर पोत में जगहों के भीतर डैक आच्छाद और डैक नियंत्रण स्टेशन जो मशीनरी का छत्र बनाते हैं और स्थौरा जगहें इस प्रकार की होंगी कि तुरन्त ज्वलित न हो सकें ।

(8) हर पोत में,—

(क) वास जगहों, मशीनरी जगहों और नियंत्रण स्टेशनों में पेंट, वार्निश और अन्य सतह सामग्री जिनमें नाइट्रोसेलूलोज या अन्य अत्यन्त ज्वलनशील क्षार हो प्रयोग नहीं की जायेगी ;

(ख) तेल या अन्य ज्वलनशील द्रव को ले जाने के लिये आशयित के पाइप आगे की जोखिम को ध्यान में रखते हुये ऐसी सामग्री के होंगे जो केन्द्रीय सरकार को प्रतिग्राह्य हो;

(ग) जहाज पर कीनालों, शौच विसर्जन या जल रेखा के समीप के अन्य भों। ऐसी सामग्री के नहीं होंगे जो आग लगने की दशा में निष्फल हो जायें और उससे बाढ़ का खतरा पैदा हो जाये।

(घ) चलचित्र संस्थापनों में सेलूलोज नाइट्रेट फिल्म प्रयोग नहीं की जायेगी।

(9) हर पोत में, –

मुख्य नोदन मशीनरी या तेल से चलने वाला बायलर या अन्तर्दाह्य प्रकार की सहायक मशीनरी जिसकी कुल अश्व-शक्ति 1000 या अधिक हो, को रखने वाली जगहों के रोशन दान बन्द किये जाने के योग्य होंगे और जहां साध्य हो आग लगने की दशा में जगहों के बाहर से खोले जा सकेंगे और जहां उनमें कांच के पैनल हों, ऐसे पैनल तार प्रबलित कांच से फिट किये गये अग्नि प्रतिरोधी संनिर्माण होंगे और बाह्य स्थायी संलग्न पट इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री के होंगे,

(ख) इंजन खोल में खिड़कियां नहीं लगाई जाएंगी सिवाए वहां जहां केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि वे आवश्यक हैं और अग्नि दुर्घटना संघटित नहीं होगी। जहां ऐसी खिड़कियां लगाई जायेंगी वे न खुलने वाले प्रकार की होंगी और ये तार प्रबलित कांच से फिट की गई अग्नि प्रतिरोधी संनिर्माण होंगी और इनमें स्थायी संलग्न बाह्य पट इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री के होंगे।

13. **बायलर्स और मशीनरी – साधारण**.—

(1) हर पोत में मशीनरी, बायलर्स और अन्य दाव वाहिकाएं ऐसे डिजाइन और संनिर्माण की होंगी कि उस सेवा के लिये जिसके लिये वे आशयित है समुचित हों और इस प्रकार संस्थापित और संरक्षित की जायेगी कि बोर्ड पर के व्यक्तियों को खतरा घट कर कम से कम हो जाये।

(2) उपनियम (i) की अपेक्षाओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हर पोत बायलर्स और मशीनरी में ऐसे साधनों की व्यवस्था की जायेगी जो ऐसी मशीनरी बायलर्स और अन्य दाव वाहिकाओं के किसी भाग के अधि-दान का निवारण करेंगे और विशेष रूप से हर बायलर और हर तेल प्रसर्जित वाष्प-जनित्र में० दो सुरक्षा वाल्वों से अन्यून व्यवस्था की जायेगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि आधिदाव के प्रतिकूल बचाव की समुचित व्यवस्था है तो वह किसी बायलर या अप्रसर्जित वाष्प जनित्र के उत्पाद या किसी अन्य लक्षण का ध्यान रखते हुए केवल एक सुरक्षा वल्व लगाने की अनुज्ञा दे सकती है।

14. **बायलर्स और अन्य दाव वाहिकाएं**.—

(1) हर पोत में हर बायलर या अन्य दाब वाहिका और इनकेअपने प्रथमबार उपयोग में लाये जाने से पूर्वयथास्थिति उस बायलर या दाब वाहिका के कार्यकारी दाब से यथोचित अधिक दाब पर, यह सुनिश्चित करने के लिये कि बायलर या कोई अन्य दाब वाहिका अपने माउटिंग सहित शक्ति और डिजाइन में उस उपयोग के लिये जिसके लिये यह आशयित है,

(क) डिजाइन और सामग्री जिससे यह संनिर्मित है;

(ख) प्रयोजन जिसके लिये इसका प्रयोग आशयित है, और

(ग) कार्यकरण परिस्थितियों जिनके अधीन इसका प्रयोग आशयित है,

को ध्यान में रखते हुए द्रवचालित परीक्षण के अध्यधीन होंगे

(2) ऐसे हर बायलर या दाब वाहिका और इनके अपने अपने माउटिंग प्रभावशाली परिस्थितियों में रखे जायेंगे।

(3) हर पोत में ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे हर दाब वाहिका की सफाई और निरीक्षण पर्याप्त रूप से सुकर हो जाये।

15. **मशीनरी**.—

(1) हर पोत में, पोत के नौदान और सुरक्षा के लिये आवश्यक मुख्य और सहायक मशीनरी में नियंत्रण के प्रभावशाली साधनों की व्यवस्था की जायेगी और मशीनरी जब आरंभतः पोत में कोई शक्ति उपलब्ध नहीं है प्रचालित किये जाने के योग्य होगी।

(2) हर पोत में जहां मशीनरी के अधिगतित्वरण से खतरा विद्यमान है वहां यह सुनिश्चित करने के लिये कि सुरक्षित गति न बढ़े, साधनों की व्यवस्था की जायेगी। हर पोत में जहां मुख्य या सहायक मशीनरी या ऐसी मशीनरी का कोई भाग आन्तरिक दाब के अध्यधीन है, प्रथमबार उपयोग के लाये, जाने से पूर्व कार्यकारी दाब से यथोचित अधिक दाब पर

(क) डिजाइन और सामग्री जिससे यह संनिर्मित है,

(ख) प्रयोजन जिसके लिये इनका प्रयोग आशयित है, और

(ग) कार्यकरण परिस्थितयां जिनके अधीन इनका प्रयोग आशयित है,

को ध्यान में रखते हुए द्रवचालित परीक्षण के अध्यधीन होंगे।

(3) हर पोत में, मुख्य या सहायक मशीनरी या उनका कोई भाग जो आन्तरिक दाब के अध्यधीन है प्रभावशाली परि-स्थितियों में रखा जायेगा।

16. **पीछे जाने के साधन.**—हर पोत सभी प्रसामान्य परिस्थितियों में पोत के समुचित नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये पीछे जाने के लिये पर्याप्त शक्ति रखेगा ।

17. **शाफ्ट.**—हर पोत में प्रत्येक शाफ्ट इस प्रकार डिजाइन और संनिर्मित की जायेगी की इसकी सुरक्षा की पर्याप्त और व्यवस्था ।

(क) सामग्री जिससे यह संनिर्मित है,

(ख) सेवा जिसके लिये यह आशयति हैं, और

(ग) इंजन का प्रकार जिसके द्वारा यह खींची जाती है या जिसका यह भाग है,

को ध्यान में रखते हुये अधिकतम कार्यकारी प्रतिबल जिसके यह अध्यधीन हो सके, को सहन कर सकेगी ।

18. **बायलर संभरण प्रणाली.**—(1) हर पोत में, हर बायलर में जो पोत की सुरक्षा के लिये आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करता है और जो संभरण जलप्रदाय के खराब हो जाने पर खतरनाक बन सकता है, दो से अन्यून प्रभावशाली और पृथक संभरण जल प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित करके कि ऐसी प्रणाली में से कोई एक दूसरी की प्रभावशीलता पर प्रभाव डाले बिना निरीक्षण या पूरी मरम्मत के लिये खोली जा सके, लगाई जायेगी । ऐसी हर प्रणाली में ऐसे साधनों की व्यवस्था की जायेगी जो प्रणाली के किसी भाग में अधिदाब को रोके ।

(2) यदि किसी पोत की बायलर संभरण प्रणाली में तेल प्रविष्ट होने की संभावना है तो बायलर संभरण जल के प्रदाय के लिये व्यवस्था में संभरण जल में तेल के अन्तारोधन की व्यवस्था की जायेगी ।

(3) हर संभरण निरोध वाल्व, फिटिंग या पाइप जिसमें से होकर पाइप से ऐसे बायलर को संभरण जल जाता है, सुरक्षा की व्यवस्था जो पर्याप्त हो, उस सामग्री जिससे यह संनिर्मित है, और कार्यकरण परिस्थितियों जिनके अधीन इसको प्रयोग किया जायेगा को ध्यान में रखते हुये अधिकतम कार्यकारी प्रतिबल जिसके यह अधीन हो सके को सहन करने के लिये डिजाइन और सन्निर्मित किया जायेगा । ऐसा हर वाल्व, फिटिंग या पाइप प्रथम बार उपयोग में लाए जाने से पूर्व यथोचित रूप से उस बायलर के अधिकतम कार्यकारी दाब से जिससे यह संबद्ध है या उस अधिकतम कार्यकारी दाब से जिसके संभरण लाइन अध्यधीन हो सकती है, इनमें जो भी अधिक हो से अधिक दाब पर द्रवचालित परीक्षण के अधीन होगा और प्रभावशाली दशा में बनाए रखा जायेगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट संभरण पाइप यथोचित रूप से आलंबित किये जायेंगे ।

19. **वाष्प पाइप प्रणाली.**—(1) हर पोत में उससे संबद्ध हर वाष्प पाइप और हरफिटिंग जिस से होकर वाष्प जा सकती है इस प्रकार डिजाइन और सन्निर्मित किया जायगा इसकी सुरक्षा की पर्याप्त हो व्यवस्था जो, और

(क) सामग्री जिससे यह सन्निर्मित है, और

(ख) कार्यकरण परिस्थितियों जिनके अधीन वह प्रयोग किया जायेगा ।

को ध्यान में रखते हुये अधिकतम कार्यकारी प्रतिबल जिसके यह अध्यधीन हो सके, को सहन कर सके ।

(2) उपनियम (1) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा हर वाष्प पाइप या फिटिंग प्रथम बार उपयोग में लाए जाने से पूर्व यथोचित रूप से इसके अधिकतम दाब से, जो अवधारित किया जाना है, अधिक दाब पर उपनियम (1) के खंड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए द्रव चालित परीक्षण के अध्यधीन होगा, और ऐसा हर वाष्प पाइप और फिटिंग प्रभावशील दशा में बनाए रखा जायगा ।

(3) वाष्प पाइप यथोचित रूप से आलंबित किये जायेंगे ।

(4) ऐसी व्यवस्था की जायगी जिससे अत्यधिक प्रतिबल को जिसके कारण चाहे तापक्रम, कंपन में फेरफार होने से, या अन्यथा के कारण से ऐसे वाष्प पाइप या फिटिंग में सभाव्य खराबी हो सकती हो, परिवर्जित की जा सके ।

(5) ऐसे हर वाष्प पाइप के लिये, यह सुनिश्चित करने के लिये कि पाइप का अन्तरभाग जल से मुक्त रखा जा सके, जल निकास के प्रभावशाली साधनों की व्यवस्था की जायगी और पोत की आशयित सेवा के दौरान किसी भी परिस्थिति में संभावित रूप से उत्पन्न होने वाली जलधन क्रिया (वाटर हैमर एक्सन) न हो ।

(6) यदि किसी पोत में वाष्प पाइप किसी दूसरे उच्च दाब, जिसे यह पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था से सहन नहीं कर सकता है, के स्त्रोत से वाष्प लेने की अपेक्षा रखता है तो ऐसे पाइप में प्रभावशाली न्यूनक वाल्व, रक्षा वाल्व और दाबमापी लगाया जायगा ।

20. **वायु दाब प्रणाली.**—(1) हर पोत में जिसमें नोदन और पोत या बोर्ड पर के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक मशीनरी पूर्णत संपीड़ित वायु द्वारा, चालू होने, प्रचालन और नियंत्रण की अपेक्षा करती है, एक प्रभावशाली वायु प्रणाली, जिस में पर्याप्त संख्या में वायु संपीडक और संपीडित वायु संग्रह वाहिका सम्मिलित है, यह सुनिश्चित करने के लिये कि सेवा में होने वाले सभी संभाव्य परिस्थितियों में संपीड़ित वायु का प्रदाय पर्याप्त हो सके. कि व्यवस्था की जायगी ।

(2) (क) ऐसी हर वायु दाब प्रणाली के भाग वायु चालित नियंत्रण प्रणाली से भिन्न जो वायु दाब के अध्यधीन हैं। इस प्रकार डिजाइन और सन्निर्मित किये जायेंगे कि वे अधिक तक कार्यकारी प्रतिबल को जिसके वे अध्याधीन हो सके पर्याप्त रक्षा की व्यवस्था सहित सहन कर सके और ऐसी प्रणाली में हर वायु दाब पाइप या फिटिंग प्रथम बार उपयोग में लाये जाने से पूर्व इसके अधिकतम कार्यकारी दाब से दुगने दाब पर द्रवचालित परीक्षण के अध्यधीन होंगे और ये प्रभावशाली दशा में बनाये रखे जायेंगे।

(ख) ऐसी किसी वायु दाब प्रणाली के किसी भाग में अधिदाब के निवारण के लिये साधनों की व्यवस्था की जायगी और जहां वायु संपीड़कों और शीतकों की जल जैकिट या जल खोल वायु दाब के भागों से उनमें क्षरण के कारण खतरनाक अधिदाब के अध्यधीन हो वहां यथोचित और पर्याप्त दाब रक्षकों की व्यवस्था की जायगी।

(ग) ऐसे हर वायु दाब प्रणाली में—

(1) प्रणाली में तेल के प्रवेश को घटा कर न्यूनतम करने ; प्रणाली के निकास; और

(3) प्रणाली की आन्तरिक विस्फोट के प्रभाव से रक्षा करने,

की व्यवस्था की जायगी।

(घ) ऐसे हर वायु संपीड़कों में विसर्जन पाइप चालन वायु संपीड़कों से सीधे चालन वायु संग्रहियों को ले जाय जायेंगे और वायु संग्रहियों से मुख्य या सहायक इंजिनों को जाने वाले सब चालन वायु पाइप संपीड़क विसर्जन पाइप प्रणली पूर्णतः प्रथक होंग।

21. **शीतक जल प्रणाली.**—हर पोत में जिसमें प्रणोदी मशीनरी को चालू रखने के लिये शीतक जल सेवा आवश्यक है ऐसी जल सेवा के प्रचालन के लिय कम से कम दो साधनों व्यवस्था की जायगी।

22. **स्नेहन और अन्य तेल प्रणालियां.**—हर पोत में जिसमें मुख्य प्रणोदी मशीनरी और इसकी आनुषंगिक सेवाओं के शीतन या प्रचालन में स्नेहन के लिये तेल दाब में परिचालित होता है, तो पंप के खराब होने की दशा में ऐसे तेल के परिचालन के विकल्प साधन के उपलब्ध होने की पर्याप्त व्यवस्था की जायगी।

23. **तेल और गैसीय इंधन संस्थापन.**—(छ) हर पोत में, बायलर या मशीनरी के प्रयोग के लिये तेल का दमक तापांक 65.0° सें 0 (बन्द परीक्षण) से अन्यून होगा ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्त के अध्यधीन जैसी वह अधिरोपित कर सके—

(क) किसी पोत को बायलर में 545° सें0 से अन्यून वा आन्तरिक और दहन प्रकार की मशीनरी में 43.3° सें0 से अन्यून दमद तापांक के तेल इंधन की प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी, और

(ख) उन पोतों में जो द्रवित गैसों को ले जाने के लिय डिजाइन किये गये हों गैसीय इंधन को प्रयोग करने को, यदि ऐसा इंधन ले जाये गये स्थौरा के वाष्पीकरण से ही पूरी तरह परिणामित होता है, अनुज्ञा दे सकेगी।

(2) उपनियम (1) में को कोई भी बात नियम 7 के उपनियम (3) के खंड (क) नियम 8 के उपनियम (3) के खंड (क) और नियम 9 के उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति के आपात स्त्रोत का प्रचालन करने वाली मैशीनरी के लिय इंधन को लागू नहीं होगी।

(3) हर पोत में जिसमें तेल या गैसीय इंधन का उपयोग होता है, इंधन तेल के संग्रह वितरण और उपयोग की व्यवस्था ऐसी होगी कि, अग्नि दुर्घटना और विस्फोट जो ऐसे तेल के उपयोग से हो सकता है, को ध्यान में रखते हुए, पोत और बोर्ड पर के व्यक्तियों की परिरक्षा हो सके।

(4) हर पोत में जिसमें पोत के नौदन या सुरक्षा के लिए इंजिन या बायलर्स में तेल या गसीय इंधन का उपयोग होता है इंधन के संग्रह वितरण और उपयोग की व्यवस्था ऐसी होगी कि उन सभी संभाव्य परिस्थितियों में जो पोत की सेवा के दौरान हो सकें इंजिनों का प्रभावशाली उपयोग बनाया रखा जा सके।

(5) बायलर के हर तेल इंधन संस्थापन में जो पोत के नौदन के लिये वाष्प प्रदान करता है दो तेल इंधन एककों से अन्यून सम्मिलित होंगें।

24. **नौचालन कक्ष और इंजिन कक्ष के बीच में संसूचना**—हर पोत में नौचालन कक्ष से इंजिन कक्ष नियंत्रण प्लेटफार्म तक आदेशों को संसूचित करने के लिय दो साधनों की व्यवस्था की जायगी। साधनों में से इंजिन कक्ष तार होगा।

25. **कर्ण गियर** (1) हर पोत में प्रभावशाली मुख्य और सहायक कर्ण गियरों की व्यवस्था की जायगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार के समाधान प्रद रूप से दोहरे कर्ण गियर शक्ति एकक और उनके संयोजन लग हुए और ऐसा हर शक्ति एकक उपनियम (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं के अनुसार है तो केन्द्रीय सरकार किसी पोत पर सहायक कर्ण गियर की व्यवस्था की अपेक्षा से अभिमक्ति प्रदान कर सकेगी।

(2) हर पोत में,—

(क) मुख्य कर्ण गियर जिसमें सुकान और सहयुक्त फिटिंग सम्मिलित है, पर्याप्त सामर्थ्य का होगा और पोत को अधिकतम सेवा गति पर कर्णित करने में पर्याप्त होगा। मुख्य कर्ण गियर और सुकान दण्ड इस प्रकार डिजाइन किये जायेंगे कि पीछे अधिकतम गति पर क्षतिग्रस्त न हो;

(ख) मुख्य कर्ण गियर सुकान को आगे चलते हुए पोत की अधिकतम सेवा गति पर 35° पर एक ओर और 35° पर दूसरी ओर रखने में समर्थ होगा। सुकान अधिकतम सेवा गति पर 28 सेकिन्ड में 35° किसी एक ओर से 30° दूसरी ओर तक रखे जाने में समर्थ होगा;

(ग) सहायक कर्ण गियर शीघ्रता से क्रियान्वित किये जाने में समर्थ होगा और पोत को नाव्य गति पर कर्णित करने में समर्थ बनाने में यथोयोग्य सामर्थ्य और पर्याप्त शक्ति का होगा। किसी पोत में खंड (क) की अपेक्षाओं के अनुसार पतवार के रूप में 35.56 सेंटीमीटर से अधिक व्यास का सुकान दंड अपेक्षित है। सहायक कर्ण गियर शक्ति द्वारा प्रचालित किया जायगा :

(3) हर पोत में जिसमें शक्ति द्वारा प्रचालित कर्ण गियर लगा हुआ है सुकान की स्थिति मुख्य चालन स्टेशन पर उपदर्शित की जायगी।

26. **अतिरिक्त गियर:**—

पोत की आशयित सेवा को ध्यान में रखते हुए हर पोत में पर्यात अतिरिक्त कर्ण गियरों की व्यवस्था की जायगी।

27. **दिक सूचक:**—

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन हर पोत में दो प्रभावशाली दिक्सूचकों की व्यवस्था की जायगी जो बिनेकल में रखे जाएंगे और पति की मध्य रेखा पर स्थित होंगे। ऐसे दिक्सूचकों में से एक की व्यवस्था मानक दिक्सूचक के रूप में उपयोग करने के लिये की जायेगी और सामान्य चालन स्थिति के समीप और ऐसी स्थिति में जहां से क्षितिज के दृश्य में कम से कम बाधा हो स्थित किया जायेगा। ऐसी दिक्सूचकों में से दूसरे की व्यवस्था चालन दिक्सूचक के रूपमें उपयोग करने के लिये की जायेगी और जबतक कि इस प्रयोजन के लिये मानक चुम्बकीय दिक्सूचक प्रक्षिप्त परावर्तित बिम्ब की व्यवस्था न हो या पूर्णाक्ष दिक्सूचक या धूर्णाक्ष या प्रेषण चुम्बकीय दिक्सूचक पुनरावर्तक प्रसामान्य चालन स्थिति के समीप स्थित न हो जिस दशा में बिनैकल या पादपीठ में रखा हुआ दूसरी चुम्बकीय दिक्सूचक आपात चालन स्थिति पर लगाया जायेगा सामान्य चालन स्थित के समीप स्थित किया जायेगा।

(2) जहां आपात चालन स्थिति नहीं है परन्तु पोत मानक प्रक्षेपक चुम्बकीय दिकसूचक और धूर्णाक्ष दिकसूचक से पुनरावर्तक सहित, सज्जित हो और परन्तु यह और भी कि बोर्ड पर अतिरिक्त चुम्बकीय दिकसूचक कटोरा अपने जिम्बल एककों सहित ले जाया जाता हो ताकि यह उस दिकसूचक के यदि वह बेकार हो जाय तो मानक दिकसूचक बदला जा सके तो वहां दो चुम्बकीय दिकसूचक और बिनकल अपेक्षित नहीं होंगे।

28. **लंगर और जंजीर केबल**.—

हर पोत में, पोत के आकार और आशयित सेवा को ध्यान में रखते हुये ऐसे लंगरों और जंजीर केबलों की व्यवस्था की जायेगी जो संख्या, भार और मजबूती में पर्याप्त हों।

29. **बचाव के साधन**.—

(1) हर पोत में सीढ़ी पथ और जीना पथ इस प्रकार व्यवस्थित किये जाएंगे कि सभी कर्मीदल वासों और अन्य जगहों जिनमें कर्मीदल प्रसामान्यत: नियोजित किये जाते हैं, से रक्षा नौका पोतारोहण डैक को बचाव के सुगम साधनों की व्यवस्था हो जाये।

(2) हर पोत में प्रत्येक इंजिन कक्ष, शाफ्ट सुरंग और बायलर कक्ष से यासाध्य दूरी पर एक दूसरे से पृथक दो बचाव साधनों की व्यवस्था की जायेगी, उनमें से एक जल रोक दरवाजा हो सकता है यदि ऐसा दरवाजा बचाव के साधन के रूप में उपलब्ध हो। जहां ऐसा जल रोक दरवाजा उपलब्ध नहीं है वहां बचाव के दो साधनों के दो सेट जो ऐसे इस्पात जीनों से मिलकर बनेंगे जो खोल में या अन्यत्र दरवाजों तक जाते हे जहां से डैक या डैकों पर रक्षा नौका या बचाव तराया पोतारोहण कोतक पहुंच हो,

परन्तु केन्द्रीय सरकार सकल 2000 टन से कम के पोत को इस उपनियम की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है।

38. **मशीनरी को रोकने, तेल इंधन को बन्द करने, चूषक पाइप और छेदों को बन्द करने के साधन** :—

(1) हर पोत में मशीनरी, आवास और स्थोरा जगहों में लगे हुये संवाती पंखों को रोकने के लिये साधनों की व्यवस्था की जायेगी। मशीनरी और स्थोरा जगहों के लिये सभी रोशनदानों द्वारपथों, वातायनों, चिमिनियों के चारों ओर की बलया कार जगहों और ऐसी जगहों के अन्य छेदों को बन्द करने के लिये साधनों की व्यवस्था की जायेगी। से साधन उक्त जगहों की बाहर की स्थितियों से जो ऐसी जगहों में आग के कारण अगम्य नहीं हो जायेगी, प्रचालित किये जाने में समर्थ होंगे।

(2) हर पोत में मशीनरी को चलाने वाले बल प्रवात और प्रेरित प्रवाह पंखे तेल इंधन अन्तरण पंप, तेल इंधन एकक पंप और अन्य समतुल्य ईंधन पप उन जगहों, जिनमें ऐसी मशीनरी या प स्थित है, के बाहर दूर स्थित नियंत्रणों के साथ लगाये जाएं। ऐसे नियंत्रण उक्त जगहों में आग लगने की दशा में ऐसी मशीनरी या पंपकों को बन्द कर सकने में समर्थ होंगे।

(3) (क) हर पोत में, हर पाइप में जो किसी तेल इंधन संग्रह, सटिंग या दैनिक सेवा टंकी जो दोहरी तली की टंकी नहीं है से जुड़ा हो, जो यदि क्षतिग्रस्त हो जाये तो अपनी अन्तर्वस्तु का विसर्जन कर देगा जिससे अग्नि दुर्घटना हो सकती है, वाल्व या टोंटी लगाई जायेगी जो उस टंकी से, जिससे यह जुड़ा है सुरक्षा से आबद्ध होगा और उस जगह के बाहर जिसमें टंकी स्थित है, शीघ्रता से पहुंचने योग्य स्थिति से बन्द किये जाने में समर्थ होगा।

परन्तु यदि ऐसी टंकी में कोई प्रवेश पाइप लगा हुआ हो तो इस उपनियम में अपेक्षित वाल्व या टोंटी के लिये टंकी से उसी तरह सुरक्षा से आबद्ध एक, एक तरफा वाल्व प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(ख) किसी तेल इंधन को गहरी टंकी से संबद्ध किसी शाफ्ट या पाइप सुरंग द्वारा अनुप्रस्थित ऐसे पाइप में, खंड (क) की अपेक्षाओं के अधीन टंकी में लगाये जाने वाले वाल्व के अतिरिक्त सुरंग या सुरंगों के बाहर पाइप लाइन या लाइनों में, आग लगने की दशा में नियंत्रण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये एक या अधिक वाल्व लगाये जा सकेंगे।

31. स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र दिए जाने से पूर्व पोतों का सर्वेक्षण:—
(1) हर पोत का स्वामी इन नियमों के अधीन, यथास्थिति, स्थौरापोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रयोजन के लिये अपने पोत का सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण कराएगा।

(2) ऐसे सर्वेक्षण के लिये स्वामी मास्टर या अभिकर्ता द्वारा अनुसूची 1 में इस निमित्त विहित समुचित प्ररूप में आवेदन दिया जायेगा और प्लान, डिजाइन और ऐसा अन्य डाटा और जानकारी, जैसी प्रधान अधिकारी अपेक्षा करे, के साथ दिया जायेगा।

(3) सर्वेक्षण के लिये आवेदन पंजीकृत जिले के प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, किसी कार्य दिवस को कार्यालय के समय के दौरान उस समय से 72 घंटे पूर्व जिस समय सर्वेक्षण प्रारंभ किये जाने की वांछा करता है, दिया जायेगा।

(4) इन नियमों के अधीन सर्वेक्षण के लिये फीस अनुसूची 2 में इस निमित्त विनिर्दिष्ट समुचित दरों पर उदगृहीत की जायेगी और कोई भी आवेदन, जब तक इसके साथ समुचित फीस न हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) सर्वेक्षण के लिये आवेदन और सर्वेक्षण फीस प्राप्त हो जाने पर, प्राप्त करने वाला अधिकारी आवेदन को, इस प्रकार संदत्त फीस की शासकीय रसीद और एक सूचना कि आवेदन प्राप्त हो गया है, देगा।

(6) सर्वेक्षण, कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, विशाखापट्टणम् कोचीन, मोरमुगाओ बेदीबन्दर पत्तनों और ऐसे पत्तनों और स्थानों जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना द्वारा भारत में सर्वेक्षण के स्थानों के रूप में नियत करे, पर किया जायेगा :

परन्तु प्रधान अधिकारी, यदि आवेदक ऐसी वांछा करे और परिस्थितियां ऐसी अनुमति दें, आवेदक के लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को इस निमित्त सुसंगत नियमों और विनियमों के अधीन सर्वेक्षक के ग्राह्य यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो जाने पर किसी अन्य पत्तन या स्थान पर सर्वेक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

(7) आवेदन प्राप्त हो जाने पर, प्रधान अधिकारी पोत का किसी भी कार्य दिवस को 7 बजे सुबह और 5 बजे शाम के बीच किसी सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण करायेगा :

परन्तु यदि आवेदन यह वांछा करता है और परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो प्रधान अधिकारी कार्य दिवस से भिन्न दूसरे दिन को उपनियम (4) के अधीन संदेय फीस के अतिरिक्त ऐसे दिनों सर्वेक्षक के प्रति परिदर्शन के लिए 200/- रुपये की दर से अतिकालिक फीस संदाय करने पर सर्वेक्षण कराने की व्यवस्था कर सकेगा।

(8) यदि आवेदन में उल्लिखित आशयित सर्वेक्षण के लिए दिन और समय पर सर्वेक्षक को सर्वेक्षण करने में समर्थ बनाने वाली अपेक्षित तैयारियां नहीं की गई हैं या यदि सर्वेक्षक ऐसे दिन और ऐसे समय पर अपरिहार्यतः निरुद्ध किया गया है या सर्वेक्षण करने से अन्यथा निवारित किया है तो पोत के सर्वेक्षण के लिए कोई अन्य दिन और समय जो सर्वेक्षक और आवेदक दोनों को सुविधाजनक हो नियत किया जा सकता है।

(9) उस कालावधि को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र दिया जाना है सर्वेक्षक पोत का सर्वेक्षण करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि संरचना, बायलर्स और अन्य दाब-वाहिकायों और उनके साज-समान, घरेलू बायलर्स से भिन्न जिनका तापन तल 4.65 वर्ग मीटर या कम है या कार्यकारी दाब 3.52 किलोग्राम प्रति वर्ग सेन्टीमीटर या कम है, और अन्य घरेलू दाब-वाहिकायों, जिनका ऐसा कार्यकारी दाब है, की व्यवस्था, सामग्री और घाटक माप, मुख्य और सहायक मशीनरी, विद्युत् संस्थापन और अन्य उपस्कर इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और उस सेवा के लिए जिसके लिए पोत आशायित है, सब बातों में सन्तोषप्रद है।

(10) सर्वेक्षक, यदि सर्वेक्षण पर उसका समाधान हो जाये कि वह उचित तौर पर ऐसा कर सकता है तो वह इन नियमों की अनुसूची 1 में विहित समुचित प्ररूप में सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट प्रधान अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(11) प्रधान अधिकारी, यदि उसका सर्वेक्षण की रिपोर्ट की संवीक्षा करने पर समाधान हो जाता है कि वह उचित तौर पर ऐसा कर सकता है तो वह पोत की बाबत यथास्थिति, स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र दे देगा ।

32. **अन्तःकालीन सर्वेक्षण**:—(क) हर पोत जिसकी बाबत स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरापोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, का स्वामी जब तक कि उक्त प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है, पोत का सर्वेक्षण, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति और अन्तरालों पर, वह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि पोत, यथास्थिति, स्थौरा सन्निर्माण प्रभाव पत्र या स्थौरापोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रभाव पत्र को प्रवृत्त रहने की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, करायेगा और यदि पोत इस प्रकार सर्वेक्षित नहीं होता तो प्रधान अधिकारी प्रमाण पत्र रद्द कर सकता है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किया जाने वाला सर्वेक्षण निम्न प्रकार से होगा :—

(क) खोखू और पोत की बगल बंधनों का परीक्षण सूखे डाक में दो वर्ष से अनधिक अन्तराल पर किया जायेगा और पोत की बगल बंधने चार वर्ष से अनधिक अन्तराल पर पूरी तरह से परीक्षित की जायेगी :

परन्तु जहां प्रधान अधिकारी का किसी पोत की बाबत समाधान हो जाता है कि इस कालावधि या विस्तारण न्याय संगत है तो वह स्वामी के आवेदन पर दो सर्वेक्षणो के बीच की कालावधि को ऐसी कालावधि के लिए जैसा वह आवश्यक समझे विस्तारित कर सकता है लेकिन विस्तारण की ऐसी कालावधि 12 महीनों से अधिक नहीं होगी ।

(ख) सब बायलरों का जिनमें उन घरेलू बायलरों जिनका तापन तल 4.65 वर्गमीटर या कम है और कार्यकारी दाब 3.52 किलोग्राम प्रति वर्ग सें० मीटर या कम है से भिन्न, रेचक गैस या वाष्पीय तापन वाष्प जनित्र, मितोपयोजक और घरेलू बायलर सम्मिलित है, जब वे आठ वर्ष पुराने न हों, दो वर्ष से अनधिक अन्तराल पर अन्दर और बाहर से परीक्षण किया जायेगा और इसके पश्चात् प्रति वर्ष :

परन्तु जहां प्रधान अधिकारी का किसी पोत की बाबत समाधान हो जाता है कि इस कालावधि का विस्तारण न्यायसंगत है, तो वह स्वामी के आवेदन पर दो सर्वेक्षणों के बीच की कालावधि को ऐसी कालावधि के लिए, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं, जैसा वह आवश्यक समझे विस्तारित कर सकता है ।

(ग) स्क्रू शाफ्टें या ट्यूब शाफ्टें, सतत लाइनर सहित या तेल में जाने वाली, बाहर निकाली जायेंगी और 3 वर्ष से अनधिक अन्तराल पर सर्वेक्षित की जायेगी और दूसरी स्क्रू और ट्यूब शाफ्टें बाहर निकाली जायेंगी और 2 वर्ष से अनधिक अन्तराल पर सर्वेक्षित की जायेंगी :

परन्तु सिगल स्क्रू पोत की दशा में जहां शाफ्टों में लाइनर या अनुमोदित तेल ग्लेंड है या अनुमोदित संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री से बने हैं, यदि प्रधान अधिकारी का समाधान हो जाये कि—

i) प्रत्येक सर्वेक्षण पर शाफ्टें निकाली जाती हैं और एक प्रभावशाली दरार परिचयन रीति द्वारा परीक्षित की जाती है; और

ii) चाबी-खांचे का डिजाइन ऐसा है जो विस्तारण की कालावधि को न्यायसंगत ठहराता है,

तो दो सर्वेक्षणों के बीच का अन्तराल 12 महीने की कालावधि से अनधिक के लिए विस्तारित किया जा सकता है ।

(3) इन नियमों के अधीन पोत के सर्वेक्षण के लिए आवेदन, इन नियमों की अनुसूची में विहित समुचित प्रारूप में प्रधान अधिकारी को जिसके द्वारा यथास्थिति स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रभाव पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रभाव पत्र दिया गया था, दिया जायेगा ।

परन्तु जहां यथास्थिति, स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाणपत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाणपत्र धारण करता है, भारत से बाहर दिया गया था तो वहां आवेदन किसी भी जिले के प्रधान अधिकारी को दिया जा सकता है ।

(4) प्रधान अधिकारी आवेदन प्राप्त करने और इन नियमों की अनुसूची 2 में इस निमित्त विहित समुचित दर पर आवेदक द्वारा फीस संदाय करने पर सर्वेक्षक द्वारा पोत का सर्वेक्षण करायेगा ।

(5) सर्वेक्षक पोत का सर्वेक्षण अपना समाधान करने की दृष्टि से करेगा—

(क) कि उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट पोत के ऐसे भाग और इसके उपस्कर जो सर्वेक्षण के लिए आवेदन के अध्यधीन है यावत्साध्य प्रभावशाली रहेंगे, और

(ख) कि उपपोत के जिससे, यथा स्थिति, स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाणपत्र संबंधित है, खोखू मशीनरी या उपस्कर में कोई तात्विक परिवर्तन मुख्य अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किये गये हैं ।

(6) उपनियम (5) की अपेक्षा अनुसार सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर सर्वेक्षक, प्रधान अधिकारी को इन नियमों की अनुसूची 1 में इस निमित्त विहित समुचित प्रारूप में पोत के सर्वेक्षण की रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ।

(7) मुख्य अधिकारी का यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट की संवीक्षा करने पर समाधान हो जाता है कि उचित तौर पर ऐसा कर सकता है तो वह, यथास्थिति, स्थौरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र को, जैसा वह उचित समझे, प्रवृत्त रहने की मंजूरी दे सकता है, या इसको रद्द कर सकता है ।

अनुसूची 1]

[नियम 31(2) 31(10), 32(3) और 32(6) देखिये]

राष्ट्रीय निदेश संख्या

मुद्रा

स्थौरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र/स्थौरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाणपत्र को मंजूर करने या नवीकरण के लिए सर्वेक्षण या अन्तः-कालीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन ।

(विलम्ब से बचने के लिए मुंबई, कलकत्ता, मद्रास विशाखा-पट्टणम या कोचीन पर सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए 72 घंटे से अन्यून की सूचना दी जानी चाहिए । अन्य पत्तनों के लिए जितनी अधिक संभव हो उतनी सूचना दी जानी चाहिए)

महोदय,

मैं इसके पीछे वर्णित सर्वक्षण के लिए आवेदन करता हूं । मैं एतद्द्वारा ..... रु० ..... पैसे सर्वेक्षण फीस अग्रेषित करता हूं और खर्चे और अतिशेष फीस जो इस विषय में संबंधित उचित तौर पर प्रभार्य हों संदत्त करने के लिए सहमत हूं ।

तारीख ..... हस्ताक्षर .....

पूरा पता ..... पदाभिदान.....

सेवा में,

प्रधान अधिकारी.....

वाणिज्यिक समुद्री विभाग,

जिला.....

(वाणिज्यिक समुद्री कार्यालय में भरा जाना चाहिए)

..... रुपये की फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गई है और रसीद संख्या ..... दे दी है ।

निम्नलिखित सर्वेक्षक/सर्वेक्षकों को आवश्यक कार्यवाही के लिए दे दिया गया ।

तारीख ..... प्रधान अधिकारी

देख लिया जिला

तारीख .....

सर्वेक्षक

पोत की विशिष्टियां

पोत का नाम	रजिस्ट्री पत्तन	शासकीय-संख्या	वाष्प मोटर या पाल	रजिस्ट्रीकृत लम्बाई	वर्गीकरण यदि कोई है	टनभार सकल रजिस्टर

खोखू कब और कहा बनाया–गया–सामग्री	इंजिन कब और किसके द्वारा बनाये गये आई एच पी/एन एच पी/आई एच पी संक्षिप्त विशिष्टियां	बायलर कब और किसके द्वारा बनाये गये कार्यकारी दाब	आयोजित समुद्र यात्रा या सेवा	चालन की प्रस्थापित तारीख

पोत के स्वामियों या अभिकर्त्ताओं के नाम और पत्र

सामुद्रिक/इंजीनियर अधीक्षक या अभिकर्त्ता, जो सर्वेक्षण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है, का नाम और टेलीफोन संख्या।

गत स्थौरा पोत संक्षिर्माण प्रमाण/पत्र स्थौरा पोत सुरक्षा संक्षिर्माण प्रमाण पत्र के ब्यौरे और अवसान की तारीख

अब अपेक्षित सर्वेक्षण/निरीक्षण की प्रकृति

पोत की उसके गत सर्वेक्षण (यदि कोई है) से दुर्घटनाओं के ब्यौरे

स्थान जहां और तारीख और समय जब पोत सर्वेक्षण के लिए तैयार होगा

कोई विशेष टिप्पणी

अनसूची II

(नियम 31(4) और 32 (4) देखिए)

स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाणपत्र दिये जाने या नवीकरण के प्रयोजन के लिए संचालित सर्वेक्षण और भानतः निरीक्षण के लिए संचालित अन्तःकालीन सर्वेक्षण के लिए संदेय फीसों की सारणी :

पोत का संकल टन भार	स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाण पत्र/ स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रमाण पत्र दिये जाने से पूर्व सर्वेक्षण के लिये संदेय फीस	स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रमाण पत्र के नवीनकरण से पर्व सर्वेक्षण के लिए संदेय फीस	स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाण पत्र स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रमाण की विधि मान्यता की कालावधि के दौरान किसी अन्तःकालीन सर्वेक्षण के लिए संदेय फीस
1	2	3	4
500 टन और अधिक किन्तु 1000 टन से कम	5000/ रुपये	1200/- रुपये	300/- रुपये
1000 टन और अधिक किन्तु 5000 टन से कम	प्रथम 1000 टन के लिये 5000/- रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 250 रुपये	प्रथम 1000 टन के लिये 1200/ रु० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 45 रुपये	प्रथम 1000 टन के लिये 300 ० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 10 रु०
5000 टन और अधिक किन्तु 10000 टन से कम	प्रथम सकल 5000 टन के लिये 15000 रु० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 200 रुपये	प्रथम सकल 5000 कल के लिये 3000 रु० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 30 रुपये	प्रथम सकल 5000 टन के लिये 700 ० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के के लिये 8/- रुपये
10000 टन और अधिक किन्तु 15000 टन से कम	प्रथम सकल 10000 टन के लिये 25000 रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 150 पये	प्रथम सकल 10000 टन के लिये 4500 रु० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 20 रुपये	प्रथम सकल 10000 टन के लिये 1100 पये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 5 रुपये
1500 और अधिक	प्रथम सकल 15000 टन के लिये 32500 रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 100 रुपये	प्रथम सकल 1500 टन के लिये 5500 रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 15 रुपये	प्रथम सकल 15000 टन के लिये 1350 रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 4 रुपये।

टिप्पण : (1) जहां सवक्षक यथास्थिति स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र के नवीकरण से पूर्व सर्वेक्षण या अन्तःकालीन सर्वेक्षण निष्पादित करता है और ऐसा सर्वेक्षण एक सक्रिया से पूरा नही होता किन्तु दो या अधिक आंशिक सर्वेक्षण में पूरा होता है तो ऐसे सर्वेक्षण के लिए सदेय फीस यथास्थिति इसमें इसके पूर्व उपवर्णित सारणी के स्तंभ (3) के स्तंभ (4) अनुसार समुचित फीस और साथ ही सवक्षक के प्रत्येक अतिरिक्त परिदर्शन के लिए 60 रुपये होगी।

(2) जहां पोत के स्वामी या मास्टर की अभिव्यक्त प्रार्थना पर सर्वेक्षक शाम 5 बजे के पश्चात निरुद्ध किया जाता है, यदि सर्वेक्षक शाम 7 बजे पूर्व छोड़ दिया जाता है तो 75 रुपये फीस और यदि सर्वेक्षण शाम 7 बजे के बाद किसी समय छोड़ दिया जाता है तो 100 पये अतिरिक्त फीस संदेय करनी होगी।

(3) जहां सर्वेक्षक ने वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण, स्थौरापोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रमाणपत्र दिये जाने या नवीकरण के पूर्व सर्वेक्षण या इन नियमों के अधीन अंतःकालीन सर्वेक्षण साथ-साथ, निष्पादित किया वहां इसमें इसके पूर्व इस अनुसूची में उपवर्णित फीसों की सारणी के अनुसार फीस संदेय नहीं होगी।

[सं० 30-एम०डी०(4)/67-एम०एल०]

अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 10th December 1971

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating recruitment to the post of Economic Investigator in the Department of Banking, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Banking (Economic Investigators) Recruitment rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—They shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Economic Investigator in Ministry of Finance (Department of Banking File No. F. 3/8 (17)/71-RR

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Economic Investigator .	5	General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 325—15—475—EB—20—575.	Not applicable.	30 years (Relaxable for Government servants).	*Essential*: (i) Master's degree in Economics or Commerce of a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years experience in conducting economic investigation/research. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.) *Desirable*: Experience of research work in fields of monetary economics, banking or public resource mobilisation or agriculture co-operation or small scale industry.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotjn/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its compositon	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicabe	2 years	50 percent by direct recruitment 50 per cent by transfer on deputation failing which by direct recruitment.	*Transfer on deputation* Officers holding analogous posts or officers with 5 years service in posts in the scale of Rs. 210—425 or equivalent under the Central Government and possessing the qualifications mentioned in column 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years.)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultatation Regulations, 1958.

[No A. 12018/5/70-Admn.]
R. K. SUNDARESAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि०141.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में आर्थिक अनुसंधानकर्ता के पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) आर्थिक अनुसंधानकर्ता भर्ती नियमावली, 1971 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **प्रयुक्ति.**—ये नियम इस अधिसूचना से अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बन्धित वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अधिसूचना के स्तम्भ 2 से 4 में बताया गया है।

4. **भर्ती का तरीका, वय सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती का तरीका, वय सीमा, अर्हताएं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जैसी कि उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट की गयी हैं।

5. **अनर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी अथवा सांवदागत विवाह किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक जीवन साथी के जीवित रहते किसी दूसरे व्यक्ति से शादी अथवा संविदागत विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और शादी की दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की शादी की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों में किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है वहां उसके लिये वह कारणों का लिखित रूप से अभिलेख करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके छूट दे सकती है।

7. **परिबंध.**—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों तथा दी जाने वाली अन्य रियायतों के सम्बन्ध में ये नियम लागू नहीं होंगे।

वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में आर्थिक अनुसन्धानकर्ता के पद के लिए भर्ती नियमवाली

फाइल संख्या 3/8(17)/71आर०आर०

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सेलेक्शन (प्रवरण) पद अथवा सलेक्शन-भिन्न पद	सीधी भर्ती वालों के लिये आयु	सीधी भर्ती वालों के लिये आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2		4	5	6	7
आर्थिक अनुसन्धान-कर्ता	5	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी ii (अराजपत्रित. अनुसचिवीय)	325–15–475–दक्षतारोध–20–575 रुपये	लागू नहीं होता।	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है)	**अनिवार्य:** (1) अर्थशास्त्र या वाणिज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की एम० ए० की डिग्री या उसके समकक्ष। (2) आर्थिक अनुसन्धान/गवेषणा का कार्य करने का लगभग 2 वर्ष का अनुभव (उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हता प्राप्त होने पर आयोग के विवेक से अर्हताओं में छूट दी जा सकती है)। **वांछनीय:** मुद्रा संबंधी अर्थशास्त्र बैंक व्यवसाय या जनता से साधन जुटाने या कृषि सहकारिता या लघु-उद्योग के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने की स्थिति में उन वर्गों का उल्लेख जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता ।	2 वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ऐसा सम्भव न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सदृश पदों पर काम करने वाले अधिकारी या 210–425 रुपये के वेतनमान या समकक्ष पदों पर काम करने वाले 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारी और जो स्तम्भ 7 में निर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 के अन्तर्गत आवश्यक है ।

[सं० ए० 12018/5/70-प्रशासन]

आर० के० सन्दरेसन, अवर सचिव।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 4th January 1972

G.S.R. 142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Protocol and Catering Officer in the Ministry of Railways (Railway Board), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railway Board (Protocol and Catering Officer) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection Post or non-Selection post.	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Protocol and Catering Officer.	1	Indian Railway Service Class II miscellaneous posts.	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.	Selection	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Methods of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulated in making rectt.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer/deputation.	*Promotion*: Catering Inspectors with 15 years service including 3 years service in the scale of Rs. 450-575. *Transfer/Deputation*. From amongst suitable officers working in the Section Officers' Grade of the Railway Board, Secretariat Service failing which suitable Assistants of the Railway Board Secretariat Service with 15 years service in the grade, having 3 years experience of catering work in each case. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. E (RB) I-71/20/13.]

P. LAL, Dy. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1972

जी० एस० आर० 142.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में नयाचार एवम खानपान अधिकारी के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **लघुशीर्षक और प्रारम्भ**.—(1) ये नियम रेलवे बोर्ड (नयाचार एवम् खानपान अधिकारी) भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वही होंगे जो इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं आदि**.—उक्त पद के लिए भर्ती की विधि, आयसीमा, अर्हताएं और उससे सम्बद्ध अन्य विषय वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **अनर्हताएं**.—कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है जिसका/की पति/पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के उपबंधों से छूट दे सकती है ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित है अथवा समीचीन है, तो वह, लिखित कारण देते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी भी वर्ग या व्यक्ति समुदाय के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबन्धों को शिथिल कर सकती है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद [हेड या अप्रवरण] पद	सीधी भर्ती वालों के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित [शैक्षणिक] और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामलों में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
नयाचार एवम् खान-पान अधिकारी	1	भारतीय रेल सेवा श्रेणी विविध पद	350–25–500–30–590–द०रो०–30–800–द०रो०–30–830–35–900 रु०	प्रवरण पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा काल यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति / प्रति नियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में पदक्रम जिनमें से पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के सम्बन्ध में संघ लोकसेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा ।
9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा और इसके अभाव में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**पदोन्नति :** ऐसे खानपान निरीक्षक जिनकी 15 वर्ष की सेवा हो और जिसमें 3 वर्ष की सेवा 450–575 रु० के वेतनमान में होनी चाहिए । **स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति :** रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी पदक्रम में काम कर रहे उपयुक्त अधिकारियों में से। इनमें से न मिलने पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जिनकी इस पदक्रम में 15 वर्ष की सेवा हो; इनमें से प्रत्येक मामले में, खान-पान कार्य में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक न होगी)	श्रेणी II विभागीय पदोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत यथापेक्षित ।

[सं० ई(आर बी) 1-71/20/13]

पी० लाल, उप सचिव ।

DEPARTMENT OF COMMUNICATION

(Post and Telegraph Board)

New Delhi, the 31st December 1971

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mechanics (Telephone, Telegraph, Carrier and Wireless) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mechanics (Telephone, Telegraph, Carrier and Wireless) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mechanics (Telephone, Telegraph, Carrier and Wireless) Recruitment Rules, 1968, in Schedule I, against item 6,—

(1) under the heading 'Direct recruits'—

(i) after entry (iii) in clause (a), the following entry shall be inserted, namely:—

"(iv) Pass in Matriculation/High School/Higher Secondary or equivalent examination with Physics and Mathematics as subjects".;

(ii) Clause (b) and entires relating thereto shall be omitted;

(2) under the heading 'Departmental candidates' after entry (ii), the following entry shall be inserted, namely:—

"(iii) workers in the industrial establishment of Technical and Development Circle".

[No. 27-40/70-NCG.]

K. V. LAKSHMANAN,
Asstt. Director General (STN).

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 143.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति यांत्रिक (टेलीफोन, तार, कैरियर और बेतार) भर्ती नियम, 1968 का और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम यांत्रिक (टेलीफोन, तार, कैरियर और बेतार) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. यांत्रिक (टेलीफोन, तार, कैरियर और बेतार) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची 1 में मद 6 के सामने—

(1) "सीधी भर्ती" शीर्षक के अन्तर्गत—

(I) खंड (क) में प्रविष्टि (iii) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(IV) मैट्रिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में पास जिसमें भौतिक विज्ञान और गणित विषय रहा हो ।"

(II) खण्ड (ख) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को हटाया जाएगा ;

(2) "विभागीय उम्मीदवार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टि (ii) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(III) तकनीकी और विकास सर्किल की औद्योगिक स्थापना के कामगार"

[सं० 27-40/70-एन सी जी]

के० वी० लक्ष्मणन,
सहायक महानिदेशक (एस टी एन)

(P. and T. Board)

New Delhi, the 31st December 1971

G.S.R. 144.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Posts and Telegraphs Workshops Organisation (Class I Engineering and Administrative Posts) Recruitment Rules, 1959, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Posts and Telegraphs Telecom Factories Organisation (Class I Posts) Recruitment Rules, 1971.

(ii) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scales of pay.**—The number of said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Special representation.**—Appointment to the post of Assistant Manager (Factories) by direct recruitment shall be made subject to orders regarding special representation for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and such other categories of persons as may from time to time be notified in this behalf by the Central Government.

6. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party

to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Training.**—The candidates recruited through competitive examination shall, during the period of probation, undergo practical training in accordance with the programme of training that may be prescribed by the Central Government from time to time.

8. **Examination and test.**—Officers appointed as Assistant Managers through competitive examination shall, during the period of probation, be required to pass a professional examination and a test in Hindi.

9. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

10. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

11. **Seniority.**—The seniority of officers appointed under these rules shall be determined in accordance with the principles of seniority laid down in the Ministry of Home Affairs O.M. No. 9/11/55-RPS, dated the 22nd December 1959 and such other general orders on the subject which may from time to time be issued by the Central Government.

12. **Liability to serve in the Defence Services.**—(1) Any person appointed to the post of Assistant Manager (Factories) shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years;

(2) If a person who is appointed by deputation or transfer to any post specified in the Schedule annexed to these rules happens to be liable for service in Defence Services under the Compulsory Liability Scheme in his parent Department/Organisation and has already so served in the Defence Service in his previous post for a period of not less than four years inclusive of the period spent on training, he shall not be liable for service in Defence Services again upon his appointment to the post specified in the said Schedule.

13. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. General Manager, Telecom Factories	1	General Central Service Class I Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1800—100—2000—125—2250	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2. Deputy General Manager/Managers of Telecom Factories	5	Do.	Rs. 1300—60—1600	Selection	Do.	Do.
3. Assistant General Managers/ Senior Engineers	17	Do.	Rs. 700—40—1100—50/2—1250	Non-selection	Do.	Do.
. Assistant Manager (Factories)	23	Do	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950	Selection		Age, qualifications, etc. as laid down in the rules for the Combined Engineering Services Examination (Indian Ordnance Factories Service Plan) conducted by the Union Public Service Commission.

SCHEDULE

Whether age and educational qualifications for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8.	9	10	11	12	13
Not applicable	Not Applicable	By transfer	*Transfer*: Officer of the Senior Administrative Grade of the Telegraph Engineering Service Class I	Not applicable	As required under the Unin Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation, 1958.
Do.	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation	*Promotion*: Assistant General Managers/ Senior Engineers with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis *Transfer on deputation*: Officers of the Junior Administrative Grade of the Telegraph Engineering Service, Class I. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)	Class I D.P.C.	Do.
Do.	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation.	*Promotion*: Do. Assistant Manager (Factories within 5 years service in the grade rendered after appointment ereto on a regular basis. *Transfer on deputation*: Officers in Senior Time Scale (Rs. 700—1250) of the Telegraph Engineering Service Class I. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Do.	Do.
No.	Two years	By promotion 50 percent. By direct recruitment 50 percent through the Combined Engineering Service Examination conducted by the Union Public Service Commission—I.O. F. S. Plan.	*Promotion*: Assistant Engineer (Factories) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class I D.P.C.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

NOTE 1. The posts of Deputy General Managers and Managers, Telecom Factory, Calcutta, Jabalpur and Bombay and the incumbents thereof are interchangeable.

NOTE 2. The posts of Assistant General Managers and Senior Engineers and the incumbents thereof are interchangeable.

[No. 2-1/61-TF]

C. S. SWAMINATHAN,
Asstt. Director General TF.

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 144.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक तार वर्कशाप संगठन (श्रेणी–I इंजीनियरी तथा प्रशासनिक पद) भर्ती नियम, 1959 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ**.—(i) इन नियमों का नाम डाक तार दूर संचार कारखाना संगठन (श्रेणी I पद) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**.—ये नियम अनुबंधित अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**:—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा उनसे सम्बन्धित वेतनमान उक्त अनुसूची के 2 से 4 कालमों में किये गये उल्लेखानुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयुसीमा तथा अन्य योग्यताएं**.—भर्ती का तरीका, आयुसीमा, योग्यतायें तथा एतत्सम्बन्धी अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में वर्णित हैं।

किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य विशेष श्रेणीयों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित ऊपरी आयुसीमा में ढील दी जा सकती है।

5. **विशेष प्रतिनिधित्व**.—

सहायक प्रबन्धक (कारखाने) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली नियुक्ति में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

9. **अयोग्यताएं**.—कोई व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो हो अथवा विवाह करने का करार किया हो जिसका की पहले से ही पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा ऐसे करने का करार किया हो इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। किन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात की संतुष्टि पर कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा शादी की दूसरी पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है तथा छूट देने के अन्य आधार हैं तो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

7. **प्रशिक्षण**.—प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती किये गये उम्मीदवारों को परिवीक्षण अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

8. **परीक्षा तथा जांच**.—जो अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सहायक प्रबन्धक नियुक्त हुए हो उन्हें परिवीक्षण अवधि के दौरान व्यावसायिक परीक्षा तथा हिन्दी का इम्तहान पास करना होगा।

9. **छूट देने की शक्ति**.—

जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि छूट देना आवश्यक या समीचीन है तो वह सम्बद्ध कारणों को लिखित रूप में दिखाकर तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों या पदों के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

10. **व्याख्या**.—इन नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उठे तो उसे निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जायेगा।

11. **वरिष्ठता**.—इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आर०पी०एस० दिनांक 22-12-1959 में उल्लिखित वरिष्ठता सिद्धान्तों के अनुसार तथा इस विषय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी होने वाले अन्य सामान्य आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

12. **रक्षा सेवाओं में काम करने का दायित्व**:—

(1) सहायक प्रबन्धक (कारखाने) के पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति होने पर यदि आवश्यकता हुई तो, किसी भी रक्षा सेवा में अथवा भारत के रक्षा विभाग से सम्बन्धित किसी भी पद पर प्रशिक्षण की अवधि सहित यदि कोई हो, कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना होगा।

बशर्ते कि :—

(क) उसे नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद यह पूर्वोक्त सेवा नहीं करनी पड़ेगी,

(ग) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद उसे यह पूर्वोक्त सेवा नहीं करनी पड़ेगी।

(2) इन नियमों में अनुबन्धित अनुसूची में वर्णित किसी पद पर प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त हुए किसी व्यक्ति ने यदि अपने मूल विभाग/संगठन में इस अनिवार्य दायित्व योजना के अन्तर्गत रक्षा सेवा कर चुके हों और पहले ही अपने मूल पद पर प्रशिक्षण अवधि सहित कम से कम चार वर्ष तक कार्य कर चुके हों तो उसे उल्लिखित अनुसूची में वर्णित किसी पद पर नियुक्ति होने पर फिर से रक्षा सेवा नहीं करनी पड़ेगी।

13. अपवाद :—

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए रखे गए आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	चुनाव या गैर चुनाव पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. महाप्रबन्धक दूर संचार कारखाने	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I अराजपत्रित अलिपिय वर्गीय	1800–100–2000–125–2200 रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या पदोन्नति के मामले में सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि हो	भर्ती का तरीका—सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की हालत में ये पदक्रम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	स्थानान्तरण से	स्थानान्तरण : तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी I के प्रवर प्रशासनिक पदक्रम के अधिकारी।

	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	
12	13
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट विनियम 1958 के अन्तर्गत जैसा अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
2. उप-महाप्रबन्धक तार संचार कारखाने	5	यथोपरि	1300–60–1600 रु०	चुनाव	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति से, ऐसा न हुआ तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण से	**पदोन्नति :** सहायक महाप्रबन्धक/प्रवर इंजीनियर जिनकी उस पदक्रम में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा पूरी हुई हो । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** तार इंजीनियरी सेवा, श्रेणी I के प्रवर प्रशासनिक पदक्रम के अधिकारी (साधारणत : प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 साल से अधिक न हो ।

12	13
श्रेणी–1 विभागीय पदोन्नति समिति	यथोपरि

1	2	3	4	5	6	7
3. सहायक महाप्रबन्धक प्रवर इंजीनियर	17	यथोपरि	700–40–1100 50/2 1250 रु०	गैर चुनाव	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति से, ऐसा न हुआ तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण से	**पदोन्नति :** सहायक प्रबन्धक (कारखाने) जिनकी उस पदक्रम में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा पूरी की हुई हो । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी I के प्रवर समय-मान (700–1250) के अधिक (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत : 3 साल से अधिक न हो) ।

12	13

1	2	3	4	5	6	7
4. सहायक प्रबन्धक कारखाने	20	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–I राजपत्रित अलिपिक वर्गीय	400–400–450–30–600–35–670–द.रो. 35–900 रु०	चुनाव	आयु, योग्यता आदि जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा (भारतीय आयुध कारखाने सेवा योजना) के नियमों में निर्धारित हो ।	

8	9	10	11
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति से 50 प्रतिशत और सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा-भारतीय आयुध कारखाने सेवा योजना के आधार पर हो ।	**पदोन्नति :** सहायक इंजीनियर (कारखाने जिनकी उस पदक्रम में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की ऐसा पूरी हुई हो ।

12	13
यथोपरि	यथोपरि

टिप्पणी 1– कलकत्ता, जबलपुर और बम्बई के दूर संचार कारखाने के उप महा प्रबन्धकों और प्रबन्धकों के पद तथा तदग्राही आपस में बदले जा सकते हैं ।

टिप्पणी 2– सहायक महाप्रबन्धकों और प्रवर इंजीनियरों के पद और पदग्राही आपस में बदले जा सकते हैं ।

[सं० 2-1/61- टी एफ]

सी० एस० स्वामीनाथन,
सहायक महानिदेशक (टी एफ) ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th December, 1971

G.S.R. 145.—Where as the Central Government considers it expedient that special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorised persons into the places specified in the Schedule hereto annexed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 8 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby declares the aforesaid places to be protected places for the purposes of that rule.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Name of place	Locality	Boundaries or other description
1	*Bank Note Press*		
	(a) Main Office building . . .	Dewas	The building and land in Sagar Mahal in Survey No. 381/1116 of Dewas bounded on the West by a Kutcha road taking off from Dewas—Bhopal State Highway and going to village Nevri and on the East, North and South by lands belonging to Maharaja of Dewas (Sr.).
	(b) Godown	Dewas	(i) Godown No. 1 in Rani Baug opposite to the office of Seth Sitaram Naraindas bounded on the West by Dewas—Ujjain Road on the North by M. P. State Transport Depot and East and South by lands belonging to the owner of the godown Seth Sitaram Naraindas.
			(ii) Godown No. 2 in Rani Baug belonging to Seth Sitaram Naraindas bounded on the West by Dewas Cotton ginning factory, on the East by grape gardens and on the North and South by the lands belonging to the owner of the godown Seth Sitaram Naraindas.

[No. 28/25/71-Poll. II]

B. K. GOSWAMI, Deputy Secy.

New Delhi, the 11th January 1972

G.S.R. 146.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (First Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

(1) in rule 20, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Commandant may, where he considers it necessary so to do for the purpose of maintaining and preserving discipline in the Unit or Sub-Unit to which the member released from the quarter Guard belongs, make an exception and issue a free railway pass to such member as mentioned in sub-rule (1).

(2) in clause (b) of rule 36, after the words "one month or less", the following words shall be added, namely:—

"or where the Commandant is satisfied that due to the difficulty of transport and escort of the person sentenced to imprisonment, to the nearest jail, it is so desirable."

[No. R.I/7/71-Adm./GPA.I.]

PREM PARKASH, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1972

जी० एस० आर० 146.—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (प्रथम संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में—

(1) नियम 20 में, विद्यमान पैरा, उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार

संख्यांकित किए गए उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां यह ऐसी यूनिट या उप-यूनिट में जिससे क्वाटर गार्ड से नियुक्त किया गया सदस्य संबंध रखता है, अनुशासन बनाए रखने और उसकी परिरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझें, छूट दे सकेगा और ऐसे सदस्य को उप-नियम (1) में यथावर्णित मुफ्त रेल पास जारी कर सकेगा।"

(2) नियम 36 के खंड (ख) में, "एक मास या उससे कम" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

"या जहां कमान्डेंट का यह समाधान हो जाए कि कारावास से दंडित व्यक्ति के निकटतम जेल तक परिवहन और अनुरक्षण की कठिनाई के कारण ऐसा करना वांछनीय है।"

[सं० आर 1/7/71-प्रशा०/जी०पी०ए० 1]

प्रेम प्रकाश, अवर सचिव।

New Delhi, the 11th January 1972

G.S.R. 147.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, namely:—

1. This Order may be called the Foreigners (Restricted Areas) Amendment, Order, 1972.

2. In Schedule I to the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, in item 11, after the words "district of Poonch", the following shall be inserted, namely:—

"the whole of Karnah Tehsil, Uri Tehsil, Tangmarg Tehsil, Baramulla Tehsil, Handwara Tehsil, Kupwara Tehsil and Bandipur Tehsil and portion of Sopore Tehsil including Hamum, Maroot, Durlwari, Ketherdaji, Dazmah, Nowpora, Hanroo, Pakhwara, Angerpora and Pazwalpora areas in the district of Baramulla.".

[No. 11013/12/71-F-I.]

B. R. PATEL, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 30th December 1971

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Economic Investigator Grade I in the Department of Rehabilitation in the Ministry of Labour and Rehabilitation, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Rehabilitation (Economic Investigator Grade I) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

Provided that the age limit prescribed for direct recruitment may be referred in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Economic Investigator Grade I in the Committee of Review for Rehabilitation work in West Bengal.	Two	General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 325—15—475—EB—20—575	Not applicable	30 years (Relaxable for Government servants).	*Essential*: 1. Master's degree in Economics or Statistics or Economic Geography of a recognised University or equivalent. 2. About 3 years' experience of Economic Survey/Investigation. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates other wise well qu lified). *Desirable*: (i) Experience in collection, compilation and analysis of data relating to rehabilitation problems of displaced persons. (ii) Drafting of reports pertaining to the rehabilitation work.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	Transfer or transfer on deputation failing which by direct recruitment	*Transfer* : Officers holding analogous posts under the Central Government. *Transfer on deputation*: Officers holding analogous posts under the Central Government or officers of Assistant Grade of the C.S.S. with 5 years' service in the grade and having the experience prescribed for direct recruits in Column 7. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. A-12018(1)/71-Adm.I.]

J. K. AHLUWALIA, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 148.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के पुनर्वास विभाग में आर्थिक-अन्वेषक ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) ये नियम पुनर्वास विभाग (आर्थिक-अन्वेषक ग्रेड-1 के पद पर) भर्ती के नियम, 1971 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.—इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिया गया है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और योग्यताएं इत्यादि**:—उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, योग्यताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई है ।

किन्तु सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशिष्ट वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।

5. **अयोग्यताएं**.— कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **रियायत देने की शक्ति**.—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत कर सकती है ।

7. **अपवाद**.—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के आधार पर अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण तथा रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनु

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शिक्षा संबंधी और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति में आर्थिक-अन्वेषक ग्रेड-1	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	325-15-475-दरो-20-575 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है)	**अनिवार्य :** (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या आर्थिक भूगोल में एम०ए० की डिग्री या समकक्ष योग्यता । (2) आर्थिक सर्वेक्षण / अन्वेषण में लगभग तीन वर्ष का अनुभव । (अन्य प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में आयोग अपनी इच्छा से योग्यताओं में छूट दे सकता है) **वांछनीय :** (i) विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास की समस्याओं से संबंधित आकड़ों को इकट्ठा करने, संकलित करने तथा उनका विश्लेषण करने का अनुभव । (ii) पुनर्वास कार्य से संबंधित रिपोर्टों का मसौदा बनाना ।

सूची

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शिक्षा संबंधी योग्यताएं पदोन्नति वालों की दशा में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति / क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानातरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है	वे परिस्थितियां जिनमें नियम बनाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**स्थानान्तरण** केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के वे अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम सात में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत या तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

[सं० ए-12018(1)/71-प्रशासन-1]

जय किशन अहलूवालिया, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 7th January 1972

G.S.R. 149.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, namely:—

(1) These regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Third Schedule to the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, in the Table below paragraph 3, against Serial No. 1, in column 3, (a) the figures, words and brackets "1. Provident Fund Inspector (Grade II) (Regional Offices)" shall be omitted; (b) items 2 to 8 shall be renumbered as items 1 to 7 respectively.

[No. A. 12018(9)/71-PF. I.]

श्रम और रोजगार विभाग

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

सा०का० नि० 149.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में, पैरा 3 के नीचे की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तम्भ 3 में (क) "1 भविष्य निधि निरीक्षक (श्रेणी 2) (प्रादेशिक कार्यालय)" अंक, शब्द और कोष्ठक लुप्त कर दिए जाएंगे। (ख) मद 2 से 8 को क्रमशः मद 1 से 7 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[सं० ए-12018(9)/71-पी०एफ० 1]

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Employees' Provident Fund (Grant of Advances to Officers and staff, other than Commissioners, for Building/Purchasing of Houses), Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund (Grant of Advances to Officers and Staff, other than Commissioners, for Building/Purchasing of Houses) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Fund (Grant of Advances to Officers and Staff, other than Commissioners, for Building/Purchasing of Houses) Rules, 1965,—

(1) in rule 6—

(i) in sub-Rule 1(A)—

(a) after the words "City Improvement Trust," the following words shall be inserted, namely:—

"Registered Co-operative Society,";

(b) after the existing proviso, the following further proviso shall be added, namely:—

"Provided further that in case of puchase of a ready-built house/flat from a Registered Co-operative Society, the applicant shall, in addition to the documents provided for under these rules, furnish the following:—

(i) A letter from the Registrar of Cooperative Societies of the concerned State indicating whether the Society is registered with him;

(ii) an attested copy of the Society's title deed in respect of the land on which the house/flat has been built along with an affidavit from the Society to the effect that the land is free of all encumberances:

(iii) a certificate from the Society's lawyer that the property is free from encumberances;

(iv) an attested copy of the offer of sale of the house/flat to the applicant, indicating the total cost of the house/flat, (cost of land under the house being shown separately where the house along with the land is being sold to the applicant), in terms of allotment and payment, etc;

(v) a copy of the plan and detailed specifications adopted in construction of the house/flat;

(vi) the accommodation available.

(vii) an attested copy of the sale deed proposed to be executed by the Society in favour of the applicant;

(viii) a letter from the Society stating that there is no objection to the house/flat being mortgaged to the Chairman on such terms and conditions as may be prescribed by it;

(ix) an attested copy of the Bye-laws of the Society; and

(x) adequate Collateral Security to the satisfaction of the sanctioning authority where the land on which the flat has been built is not mortgaged by the Society in favour of the Chairman as a security towards repayment of the advance.

(2) in rule 8,—

(a) in sub-rule 1 (E)—after the words "Form No. 6" the words "and furnishing two sureties in the Form annexed to this notification" shall be inserted;

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) In addition to ensuring compliance with the provisions contained in sub-rules (1) and (2) of rule 8, the applicant for purchase of a ready built house/flat shall furnish sureties from two permanent employees of the Organisation in the Form annexed to this notification."

Employees Provident Fund (Grant of Advances to Officers and Staff other than Commissioners for buildings/purchasing of houses) Rules, 1965.

(Surety Bond)

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that I .... son of .... a resident of .... in the District of .... at present employed as a permanent .... in the .. .. (hereinafter called "the surety") am held and finally bound upto the Central Board of Trustees Employees' Provident Fu
expression s
the subject
and assigns)
....
FOR WHICH
I hereby bin
tors, and rer
witness my
One thousan

Whereas
a resident of
at present er
....
called "the B
. ...
advance of F
purchasing l
enlarging livi
purchasing a

AND WHE
ment of Rs
only) under
Advances to
sioners for b
(hereinafter

AND WHE
repay the sai
ments. AND
undertaken to
the help of th
sions of the s
tion of the ..
said advance
execute the s
under is writt

NOW THE
such that if t
the said or a
gularly pay or

---

*Strike out
†Strike off

of aforesaid advance owing to the Board by instalments until the said sum of Rs. .... (Rupees .... only) shall be duly paid or mortgage to the Board the house built/purchased referred to above whichever event happens earlier, than this bond shall be void, otherwise the same shall be and remain in full force and virtue. BUT SO NEVERTHELESS that if the Borrower shall die or become insolvent or at any time cease to be in the service of the Board, the whole or so much of the said principal sum of Rs. .... (Rupees .... only) together with the interest as shall then remain unpaid shall immediately become due and payable to the Board and recoverable from the Surety in one instalment by virtue of this Bond.

The obligation undertaken by the Surety shall not be discharged or in any way affected by an extension of time or any other indulgence granted by the ...., to the said Borrower.

The stamp duty payable in respect of these presents shall be borne and paid by the Board.

Signed and delivered by the said .... at .... day of .... 19 .

(Signature of Surety)
Designation ....
Office to which ....
attached.

Signature address and occupation of the witnesses in the presence of—

(i) ....
(ii) ....

2. कर्मचारी भविष्य निधि (मकानों के निर्माण/क्रय के लिए आयुक्तों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को उधारों की मंजूरी) नियम, 1965, में —

(1) नियम (6) में —

(1) उपनियम 1 (क) में—

(क) "नगर सुधार न्यास" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति," ;

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और है कि रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति से बना-बनाया मकान/फ्लेट क्रय करने की दशा में, आवेदक, इन नियमों के अधीन उपबन्धित दस्तावजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज और पेश करेगा :—

(i) संबद्ध राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से यह उपदर्शित करने वाला पत्र कि क्या समिति उसके पास रजिस्ट्रीकृत है;

() उस भूमि की बाबत जिस पर मकान/फ्लेट बनाया गया है, समिति के हक विलेख की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि और साथ ही समिति से इस आशय का शपथ-पत्र कि भूमि सब भारों से मुक्त है।

(iii) समिति के अधिवक्ता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि संपत्ति प्रभारों से मुक्त है;

(iv) आवेदक को मकानप/लेट के विक्रय के लिए की गई प्रस्थापना की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदन और संदाय, आदि के अनुसार मकान/फ्लेट की कुल लागत (जहां आवेदक को मकान/भूमि के साथ विक्रय किया जा रहा हो वहां मकान की भूमि की लागत पृथक्तः दर्शित की जाए) उपदर्शित की गई हो;

(v) मकान/फ्लेट के सन्निर्माण में अपनाए गए नक्शे और विस्तृत विनिर्देशों की प्रतिलिपि।

(vi) उपलभ्य स्थान।

(vii) आवेदक के पक्ष में समिति द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्थापित विक्रय विलेख की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ;

(vii) समिति से एक एसा पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि मकान/फ्लेट को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो समिति द्वारा विहित की जाएं अध्यक्ष को बंधक किए येजाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है;

(ix) समिति की उपविधियों की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि; और

(x) जहां वह भूमि जिस पर फ्लेट बनाया गया है, उधार के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति के रूप में समिति द्वारा बंधक पर नहीं रखी गई हो, वहां मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समाधान के लिए पर्याप्त सांपाश्र्विक प्रतिभूति ;

(2) नियम 8 में, :—

(क) उपनियम 1 (ङ) में — "प्ररुप सं० 6" शब्दों के पश्चात्
"और इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररुप में दो प्रतिभू. देते हुए"
शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(3) नियम 8 के उप नियम (1) और (2) में अन्तर्ष्टि उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, बना-बनाया मकान/फ्लेट क्रय करने वाला आवेदक इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररुप में संगठन के दो स्थायी कर्मचारियों से प्रतिभू पेश करेगा।"

कर्मचारी भविष्य निधि (मकानों को बनाने/खरीदने के लिए आयुक्तों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारी वृन्द को उधार की मंजूरी) नियम

1965

(बन्ध-पत्र)

इस विलेख से सभी व्यक्तियों को ज्ञात हो कि .... जिले में .... के निवासी .... का पुत्र मैं .... इस समय .... मैं स्थायी .... में नियोजित हूं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है) और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है, जिस पद में जब तक कि वह विषय या सन्दर्भ से अपवर्जित या उसके प्रतिकूल न हो, उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) से बोर्ड को.... .... रु० (................ रुपये मात्र) संदत्त करने के लिए अपने आपको वचनबद्ध और पूर्णतः आबद्ध करता हूं। संदाय के ठीक रूप में और सच्चाई से किए ज

के लिए मैं एतद्द्वारा अपने आपको वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख से दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं । साक्ष्यम रूप मैंने आज उन्नीस सौ..... के/को.....दिन को हस्ताक्षर किए ।

यतः.....जिले में ..... के निवासी के पुत्र .....जो इस समय.....में अस्थायी/स्थायी.....के रूप में नियुक्त है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया है) *(किन्तु .....को सेवा निवृत्त होने को है) ने भूमि क्रय और/या नया मकान बनाने के प्रयोजन के लिए या विद्यमान मकान में रहने के स्थान में वृद्धि करने के लिए या† बना-बनाया मकान खरीदने के लिए.....रु० के उधार के लिए.....को आवेदन किया है ।

और यतः.....ने कर्मचारी भविष्य निधि (मकानों को बनाने/खरीदने के लिए आयुक्तों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को उधार की मंजूरी नियम, 1965 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के अधीन .....रु० (..... रुपये मात्र) का संदाय मंजूर किया है ।

और यतः उधार लेने वाले ने .....मासिक किस्तों में उक्त रकम का प्रतिसंदाय करने का वचन दिया है । और यतः उधार लेने वाले ने उक्त रकम की सहायता से बनाये हुए/क्रय किए गए मकान को बन्धक पर रखने और उक्त नियमों के उपबन्धों का पालन करने का भी वचन दिया है । और यतः उधार लेने वाले को उक्त उधार की मंजूरी देने के लिए .....के सहमत हो जाने के प्रतिफलस्वरूप प्रतिभू, उपर्युक्त बन्ध-पत्र को एतद्द्वीन लिखी गई शर्तों के अनुसार निष्पादित करने के लिए सहमत है ।

अब इस बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त उधार लेने वाला उक्त कार्यालय या..... किसी अन्य कार्यालय में अपनी नियुक्ति के समय बोर्ड को देय पूर्वोक्त उधार की रकम बोर्ड को सम्यकतः और नियमित रूप से तब तक संदाय करता है या करवाता है जब तक कि..... रु० (.....रुपये मात्र) की उक्त राशि का सम्यकतः संदाय नहीं कर दिया जाता है या तब तक जब तक कि ऊपर निर्दिष्ट बनाया हुआ/क्रय किया गया मकान बोर्ड को बन्धक नहीं कर दिया जाता है, इन दोनों बातों में जो भी बात पूर्वतर हो, तो यह बन्ध-पत्र शून्य होगा अन्यथा वह पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावशील होगा और रहेगा । किन्तु, तथापि यह है कि यदि उधार लेने वाला मर जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय बोर्ड की सेवा में नहीं रहता है, तो ब्याज सहित.... रु० (.....रुपये मात्र) की उक्त मूलधन की कुल राशि या इतनी राशि जो उस समय असंदत्त रह गई हो, इस बन्ध-पत्र के आधार पर तत्काल बोर्ड को देय और संदेय हो जाएगी और एक किस्त में प्रतिभू से वसूलीय होगी । प्रतिभू द्वारा बंधनबद्ध बाध्यता का, कोई मोहलत दिए जाने के कारण या उक्त उधार लेने वाले को.....द्वारा कोई अनुग्रह मंजूर करने के कारण निर्मोचन नहीं होगा या किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इस विलेख के सम्बन्ध में संदेय स्टाम्प शुल्क बोर्ड द्वारा वहन और संदत्त किया जाएगा ।

उक्त.....द्वारा ..... की/के.....दिन हस्ताक्षरित और परिदत्त ।

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

पदाविधान.....

कार्यालय जिसमें

कार्य कर रहा हो.....

(1).....

(2).....

की उपस्थिति में साक्षियों के हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय

साक्षी

प्रथम साक्षी :
पता :
व्यवसाय :

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के लिए और उनकी ओर से श्री.....द्वारा हस्ताक्षरित

दूसरा साक्षी :
पता : क्षी
व्यवसाय :

[सं० 52(1)/64-म०नि० 1]

*जो आवश्यक न हो काट दीजिए ।

†जो लागू न होता हो, काट दीजिए ।

New Delhi, the 15th January 1972

G.S.R. 15.—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (First Amendment) Scheme, 1972.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 68K after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

(4) If the Commissioner is satisfied that the advance granted under this paragraph has been utilised for a purpose other than that for which it was granted, or that the conditions of advance have not been fulfilled within a reasonable time, the Commissioner shall forthwith take steps to recover the amount due with interest at the rate not exceeding 6¼ per cent per annum thereon, from the wages of the member in such number of instalments as the Commissioner may determine. For the purpose of such recovery, the Commissioner may direct the employer to deduct each such instalment from the wages of the member and on the receipt of such direction the employer shall deduct accordingly. The amount so deducted shall be remitted by the employer to the Commissioner within such time and in such manner as may be specified in this behalf by the Commissioner, for being credited to the members' accounts.

Provided that only that portion of the interest which might have been credited to the member's account by way of interest had he not taken any such advance shall be credited to the member's account and the the excess shall be credited to the Interest Suspense Account.

[No. S. 70012(11)/71-PF. II.]
DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 151.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (प्रथम संशोधन) स्कीम, 1972 होगा ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 68(ट) के उपपैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(4) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इस पैरा के अन्तर्गत मंजूर किया गया अग्रिम जिस प्रयोजन के लिये मंजूर किया गया था उससे भिन्न में प्रयुक्त किया गया है या युक्तियुक्त समय के अन्दर अग्रिम की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो आयुक्त तुरन्त देयराशि की, 6¼ प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक दर पर ब्याज सहित सदस्य की मजदूरी से आयुक्त द्वारा अवधारित किश्तों में वसूली के लिए कदम उठाएगा । इस प्रकार की वसूली के प्रयोजन के लिए आयुक्त नियोजक को हर ऐसी किश्तें सदस्य की मजदूरी से काट लेने के लिये निदेश दे सकेगा और ऐसे निदेश प्राप्त होने पर नियोजक तदनुसार कटौती करेगा । आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के अन्दर और रीति से इस प्रकार कटौती की गई रकम को नियोजक आयुक्त को सदस्य के खाते में इसे जमा कराये जाने के लिए प्रेषित करेगा ।

परन्तु यह कि ब्याज का केवल वह भाग जो सदस्य ने इस प्रकार की अग्रिम न लिया होता तो ब्याज के रूप में उसके खाते में जमा हो गया होता, उसके खाते में जमा किया जाएगा और उससे आधिक्य को ब्याज-उचक्त खाते में जमा कर दिया जाएगा ।

[सं० एस-70012(11)/71-पी०एफ० 2]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 19th January 1972

G.S.R. 52/PWA/Sec. 7(2)(ii)/Rules.—The following draft of rules which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 26, read with clause (ii) of sub-section (2) of section 7 and section 24 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), is hereby published, as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government. Such objections or suggestions may be addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, Shram-Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-1.

Draft Rules

The Payment of Wages (Deductions for National Defence Fund and Defence Savings Scheme), Rules 1972.

1. **Short title, application and extent.**—(1) These rules may be called the Payment of Wages (Deductions for National Defence Fund and Defence Savings Scheme) Rules, 1972.

(2) These rules shall apply to persons employed on railways, mines and oil-fields.

(3) They extend to the whole of India.

2. **Definitions.**—In these rules,—
(a) 'Act' means the Payment of Wages Act, 1936;
(b) 'section' means a section of the Act.

3. **Conditions for making deductions.**—The conditions for making deductions in pursuance of clause (ii) of sub-section (2) of section 7 from the wages of the employed persons for contribution to the National Defence Fund or to any Defence Savings Scheme approved by the State Government with the written authorisation of the president or secretary of the registered trade union of which the employed person is a member shall be as follows:—

(a) the president or, in his absence, the secretary of such trade union shall forward,—

(i) in duplicate to the employer, a copy of the list of the employed persons who are members of the trade union indicating therein the amount or extent of deductions which are to be made from the wages of each employed person and also, where the deductions are to continue for more than one wage period the total period during which such deductions are to be made, and a copy of the resolution adopted at a meeting of such trade union authorising such deductions; and

(ii) a copy of the said list and resolution to the person who acts as an Inspector for the purposes of the Act:

(b) the employer shall display in a conspicuous place of the establishment one of the two copies of the said list and resolution received from the president or secretary, as the case may be, of the trade union, for at least a period of three consecutive days immediately preceding the day on which the deductions are to be made from the wages of the employed persons; and

(c) if an employed person objects in writing to deductions being made from his wages upto the amount or extent of deductions indicated in the list displayed by the employer, no deductions shall be made from his wages except in accordance with the written authorisation of such employed person.

[No. S. 31025/29/71/LRIII.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी 1972

सा० का० नि० 152/पा० डब्ल्यू०/से० 7 (2) (ii)/नियम.—नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 और धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित एतद्द्वारा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 मास के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में किसी भी व्यक्ति से जो आक्षेप या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । ऐसे आक्षेप या सुझाव सचिव, भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली –1 को भेजे जा सकते हैं ।

प्रारूप नियम

मजदूरी संदाय (राष्ट्रीय रक्षा निधि और रक्षा बचत स्कीम के कटौती), नियम, 1972

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और विस्तार :–**

(1) ये नियम मजदूरी संदाय (राष्ट्रीय रक्षा निधि और रक्षा बचत स्कीम के लिए कटौती), नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम रेलवे, खानों और तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों को लागू होंगे ।

(3) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस नियमों में—

(क) 'अधिनियम' से मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 अभिप्रेत है ।

(ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. **कटौती करने के लिए शर्तें.**—राष्ट्रीय रक्षा निधि या किसी रक्षा बचत, स्कीम, जो राज्य सरकार द्वारा उस व्यवसाय संघ के, जिसका नियोजित व्यक्ति सदस्य है, अध्यक्ष या सचिव के लिखित प्राधिकार के साथ अनुमोदित है में अभिदाय के लिए नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी से धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अनुसरण में से कटौती करने के लिए शर्तें निम्नलिखित होंगी :–

(क) ऐसे व्यवसाय संघ का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में सचिव :–

(i) नियोजक को उन नियोजित व्यक्तियों की सूची की दो प्रतियां भेजेगा जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और उसमें प्रत्येक नियोजित व्यक्ति की मजदूरी में से की जाने वाली कटौतियों की रकम या सीमा तथा जहां कटौती एक मजदूरी अवधि से अधिक तक की जाती है वहां वह पूरी अवधि भी जिसके दौरान ऐसी कटौती की जाती है, उपदर्शित करेगा और ऐसी कटौती का प्राधिकार देने वाले ऐसे व्यवसाय संघ की बैठक में पारित संकल्प की एक प्रति भेजेगा ; और

(ii) उक्त सूची और संकल्प की एक प्रति उस व्यक्ति को भेजेगा जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में कार्य करता है :

(ख) नियोजक, जैसी भी स्थिति हो, व्यवसाय संघ के अध्यक्ष या सचिव से प्राप्त उक्त सूची और संकल्प की दो प्रतियों में से एक को जिस दिन नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी में से कटौती की जानी है उसके ठीक पूर्ववर्ती दिन से कम से कम से क्रमवर्ती 3 दिन की अवधि के लिए स्थापन के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा; और

(ग) यदि कोई नियोजित व्यक्ति अपनी मजदूरी में से नियोजक द्वारा प्रदर्शित सूची में उपदर्शित कटौती की रकम या सीमा तक की जा रही कटौती के प्रति लिखित में आक्षेप करता है तो ऐसे नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकरण के अनुसार के सिवाय कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

[सं० एस-31025/ 29/71/एलआर-III]

New Delhi, the 22nd January 1972

G.S.R. 153.—The following draft of rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), is published, as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th March, 1972.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft on or before the date so specified, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Industrial Disputes (Central) Amendment Rules, 1972.

2. In Form 'C' of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, for the brackets and words "(here specify the period agreed upon by the parties)", the following brackets and words shall be substituted, namely:—

"(here specify the period agreed upon by the parties) of publication of this agreement in the Official Gazette by the appropriate Government."

[No. F. S. 65012/4/71-LR.I.]

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 153.—औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, एतद्द्वारा उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित, तद्द्वारा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 15 मार्च, 1972, को या के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

2. उक्त प्रारूप के बारे में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख को या से पहले जो भी सुझाव या आक्षेप किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. ये नियम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

2. औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 के प्रारूप 'ग' में "(यहां पर वह कालावधि विनिर्दिष्ट कीजिए जिस पर पक्षकार सहमत हुए हों)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"समुचित सरकार द्वारा इस करार के राजपत्र में प्रकाशन के—(यहां पर वह अवधि विनिर्दिष्ट कीजिए जिस पर पक्षकार सहमत हुए हों)"

[सं० एस-65012/4/71-एल आर आई]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव ।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th January 1972

G.S.R. 154.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 1486/PWA/ATS/Rules/AM dated the 1st September 1971, published in Part II Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India, dated the 9th October, 1971, in rule 1 under Draft Rules for the word 'Mines' read 'Air Transport Service.

[No. S. 65012/7/71/LRIII.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 13th January 1972

G.S.R. 155.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the "Indian Railways Medical Department (Assistant Medical Officer, Class II) Recruitment Rules, 1967," namely:—

1. (1) These Rules may be called the "Indian Railways, Medical Department (Assistant Medical Officer, Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule annexed to the "Indian Railways Medical Department (Assistant Medical Officers, Class II) Recruitment Rules, 1967," the following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SCHEDULE"

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Medical Officer	1863 (Provisional)	Class II Gazetted	Rs. 350—25—500 30—590—EB— 30—800—EB— 30—830—35—900 (Authorised scale)	Not applicable	35 years (Relaxable for Govt. servants).	*For Assistant Medical Officers (General)* *Essential :* (*i*) A recognised medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than Licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (*ii*) Completion of compulsory rotating internship. *For Assistant Medical Officers (Specialists)* In addition to (*i*) above, post-graduate qualification or equivalent in the speciality concerned from a recognised University [for example Radiology, Anaesthesiology, Pathology, Opthalmology, Gynaecology, ENT, Orthopaedics, Family Planning, Chest Diseases, Pasychiatry, Public Health Cardiology]. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation / transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	(*i*) by direct recruitment including occasional recruitment from other sources in consultation with the Union Public Service Commission. (*ii*) Failing (i) above by transfer on deputation.	*Transfer on deputation.* Suitable Medical Officers of Central or State Governments. (period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation), Regulations, 1958."

[No. 71/E(GR)I/16/5.]

V. P. SAWHNEY,
Secy. Railway Board.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी, 1972

जी० एस० आर० 155.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा "भारतीय रेल चिकित्सा विभाग, (सहायक चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी II) भर्ती नियम, 1967" में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय रेल चिकित्सा विभाग (सहायक चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी II) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. "भारतीय रेल चिकित्सा विभाग (सहायक चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी II) भर्ती नियम, 1967 के साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5.	6	7
सहायक चिकित्सा अधिकारी	1863 (अनन्तिम)	श्रेणी II राजपत्रित	350–25–500–30–590–द.रो.–30–300–द.रो.–30–830–35–900 रु० (अधिकृत वेतन मान)	लागू नहीं होता	35 वर्ष (सरकारी सेवकों के बारे में छूट दी जा सकती है)	सहायक चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) (1) अनिवार्य (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची के भाग II (लाइससधारी अर्हताओं से भिन्न) में शामिल मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल शैक्षणिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शत पूरी करनी चाहिए (ii) अनिवार्य आवर्ती अन्तरंग चिकित्सा कार्य काल को पूरा कर लेना ।

1	2	3	4	5	6	7
						सहायक चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) ऊपर (1) के अतिरिक्त, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विशेषज्ञों में स्नातकोतर अर्हता अथवा उसके समकक्ष अर्हता (उदाहरणार्थ विकिरण, विज्ञान, नियू चेतन विज्ञान, शरीर-विकृति विज्ञान, नेत्र रोग विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान, कान-नाक-कंठ, विकलांग विद्या, परिवार नियोजन, वक्ष रोग, मनोविकार विज्ञान, जनस्वाह, हृदस्थविज्ञान।) (अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थी के बारे में आयोग के स्वविवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है) ।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा काल यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में पदक्रम जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	(1) सीधी भर्ती द्वारा लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किन्हीं अवसरों पर अन्य स्रोतों से भी भर्ती की जा सकती है । (ii) ऊपर (i) के अभाव में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक न होगी ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत यथोपेक्षित ।

[सं० 71/ई(जी आर) 1/16/5]

वेद प्रकाश साहनी,
सचिव, रेलवे बोर्ड ।

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 3rd January 1972

G.S.R. 156.—In exercise of the powers conferred by section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri C. B. Desai, as Company Prosecutor for the conduct of prosecutions arising out of the said Act in all Courts of the State of Gujarat, other than the High Court in that State.

[No. F. 46/3/71-CL.II.]

K. M. SHARMA, Under Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली 1, 3 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 156.— कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 624 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री सी० बी० देसाई को, गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के सिवाय, इस राज्य के सभी न्यायालयों में, "कथित अधिनियम" से उत्पन्न सभी अभियोगों की पैरवी करने के लिये कम्पनी अभियोजक के पद पर नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 46/3/71–सी एल–ii]

कान्त मणि शर्मा, अवर सचिव।

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 नवम्बर 1971

सा० का० नि० 1841.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग (निर्माण और आवास मंत्रालय) में प्रबंधक (फोटो लीथो) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का नाम मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग [प्रबंधक (फोटो लीथो)] भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति और अन्य विशेष व्यक्ति-प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी।

4. **निरर्हताएं**.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
प्रबन्धक (फोटो लीथो)	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1	900-40-1100-50/2-1250 रु०	चयन	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि हो
7	8	9
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विशेष विषय के रूप में लीथोग्राफी सहित मुद्रण और सहवद्ध व्यवसाय में डिप्लोमा या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से लीथोग्राफी में डिप्लोमा या समतुल्य। (ii) लीथो प्रेस में लगभग नौ वर्ष का व्यवहारिक अनुभव जिसमें से, किसी सुस्थापित मुद्रण फर्म या सरकारी स्थापन में किसी पर्यवेक्षी हैसियत में लगभग चार वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)	नहीं	दो वर्ष
वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फोटो-चित्रण में डिप्लोमा या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्या (iii) लागत लेखा का ज्ञान और किसी बड़े स्थापन में श्रमिकों के साथ व्यवहार करने का अनुभव।		

भर्ती की पद्धति।भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसे कर्मशाला प्रबन्धक (फोटो लोथो), जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की हो।	वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

[सं० फा० 56/8/69-पी 1]

बी० एन० मुखर्जी, अवर सचिव।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 10th January 1972

G.S.R. 157.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8-B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely:—

In the Schedule to the said notification, in item 14 relating to West Bengal, against sub-item (c) relating to City Civil Court, Calcutta, for the existing entries in the second column, the following entries shall be substituted, namely:—

(i) Shri Soudhendra Kumar Basu, Senior Central Government Pleader, City Civil Court.

(ii) Shri Ajoy Nath Chakravorty, Senior Central Government Pleader, City Civil Court.

(iii) Shri Hari Narayan Mukherjee, Senior Central Government Pleader, City Civil Court.

[No. F. 15(1)/69-Judl.]

P. G. GOKHALE,

Jt. Secy. & Legal Adviser.

विधि और न्याय मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी 1972

अधिसूचना

सा० का० नि० 157.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVIII के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधिकार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में और आगे निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में पश्चिमी बंगाल से संबंधित मद 14 में, नगर सिविल न्यायालय, कलकत्ता से संबंधित उप-मद (ग) के सामने द्वितीय स्तम्भ में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

(i) श्री सोधेन्द्र कुमार बसु, ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार प्लीडर, नगर सिविल न्यायालय।

(ii) श्री अजय नाथ चक्रवर्ती, ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार प्लीडर, नगर सिविल न्यायालय।

(iii) श्री हरि नारायण मुखर्जी, ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार प्लीडर, नगर सिविल न्यायालय।

[सं० फा० 15(1)/69-जे]

पी० जी० गोखले,

संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 6th January 1972

G.S.R. 158.—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government propose to make, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published, as required by section 14 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Aircraft (..... Amendment) Rules, 1972.

2. In Schedule XI to the Aircraft Rules, 1937, in paragraph 7,—

(a) in sub-paragraph (1), the brackets and figure "(1)" and the words "accompanied by the appropriate fee" shall be omitted;

(b) sub-paragraph (2) shall be omitted.

[No. F. 10-A/46-67/AR/AM ( )/72.]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 158—वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने वाले नियमों का निम्नलिखित प्ररूप जिसे केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधि- नियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार इससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने पश्चात विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति से जो कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम वायुयान (—संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. वायुयान नियम 1937 की अनुसूची XI में, पैरा 7 में—

(क) उपपैरा (1) में, कोष्टक और अंक "(1)" और "जिसके साथ समुचित फीस होगी" शब्द लुप्त कर दिए जायेंगे ;

(ख) उपपैरा (2) लुप्त कर दिया जायगा।

[फा० 10-ए/46-67/ए०आर०/ए०एम०/( )72.]

New Delhi, the 10th January 1972

G.S.R. 159.—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, were published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934, (22 of 1934), at pages 1584-1586 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 24th April, 1971, with the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. G.S.R. 576, dated the 12th April, 1971, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 26th July, 1971;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 24th April, 1971;

And whereas the objections or suggestions received from the public have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:—

1. These Rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 1972.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 3,

(1) after clause (34), the following clause shall be inserted, namely:—

"(34A) 'Manoeuvring area' means that area of an aerodrome which is to be used for the take-off and landing of an aircraft and for the movement of aircraft associated with the take-off and landing.";

(2) after clause (35) the following clause shall be inserted, namely:—

"(35A) 'Movement area' means that area of an aerodrome which is intended for the surface movement of an aircraft and includes the manoeuvring area and aprons.".

3. In the said rules, after rule 81, the following rule shall be inserted, namely:—

"81-A. *Prohibition of entry into Movement area of an aerodrome.*—No person shall, without permission in writing, by general or speical order, of the Director General or any officer authorised in this behalf—

(a) enter or remain or cause any other person to enter or remain in the Movement area;

(b) leave or throw or cause to be thrown any animal, bird or property or object of any nature whatsoever in the Movement area;

(c) permit any animal under his possession or control or otherwise to stray in the Movement area; and

(d) operate any vehicle in the Movement area:

Provided that the provisions contained in clause (a) of this rule shall not apply to—

(i) persons authorised under rule 78-A of these rules;

(ii) bonafide passengers and crew members and their baggage, freight and mail during the process of embarkation and dis-embarkation in the Movement area.".

[No. F. 10-A/47-70/AR/AM((1)/72.]
S. N. KAUL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 159.—यतः वायुयान निगम, 1937 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 द्वारा यथाअपेक्षित कुछ नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 24 अप्रैल, 1971 के पृष्ट 1584–1586 पर भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 576 तारीख 12 अप्रैल, 1971 के साथ उन सभी व्यक्तियों से सुझाव और आक्षेप 26 जुलाई, 1971 तक आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था जिनका एतदद्वारा प्रभावित होना संभाव्य था;

और यतः उक्त राजपत्र सर्वसाधारण को 24 अप्रैल, 1971 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और अतः सर्वसाधारण से प्राप्त सुझाव और आक्षेपों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा वायुयान नियम, 1937 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:

1. इन नियमों का नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

2. वायुयान नियम, 1937 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 3 के उपनियम (i) में

(1) खण्ड 34 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"(34क) 'युक्ति चालन क्षेत्र' से हवाई अड्डे का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो वायुयान, उड़ाने और उतारने के लिए और उड़ाने और उतारने से सम्बन्धित वायुयान के संचालन के लिए उपयोग में आता है;

(2) खण्ड 35 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा,

"(35क) 'संचलन क्षेत्र' से हवाई अड्डे का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी वायुयान के स्थल संचलन के लिए आशयित है और इसके अन्तर्गत युक्तिचालन क्षेत्र और एप्रन भी है ।"

3. उक्त नियम में नियम 81 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात —

"81क. **हवाई अड्डे के संचालन क्षेत्र में प्रवेश का निषेध**:— महा निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विशेष या साधारण आदेश द्वारा, लिखित रूप में अनुज्ञा के बिना, कोई भी व्यक्ति :—

(क) संचलन क्षेत्र में न तो प्रवेश करेगा, न रहेगा न किसी व्यक्ति को प्रवेश करायेगा या रखेगा;

(ख) कोई पशु, पक्षी या सम्पत्ति या किसी भी प्रकार की कोई चीज, संचलन क्षेत्र में तो छोड़ेगा या फेंकेगा और न ही फेंकवाएगा ;

(ग) अपने कब्जे या नियंत्रण में के या अन्यथा किसी पशु को संचलन क्षेत्र में घूमने नहीं देगा; और

(घ) संचलन क्षेत्र में किसी सवारी को नहीं चलाएगा परन्तु इस नियम के खण्ड (क) में और आये उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(i) इन नियमों के नियम 78क के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति ;

(ii) संचलन क्षेत्र में यान पर चढ़ाने और उतारने के दौरान वास्तविक यात्री और कर्मीदल और उनके सामान, भार और डाक ।

[सं० फा० 10-ए/47-70/ए०आर/ए०एम०(1)/72.]

सुरेन्द्र नाथ कौल, उप सचिव ।

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 1887.—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के अधीन बनाए गए और किए गए निम्नलिखित नियमों और आदेशों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(i) उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन किए गए कोई आदेश,

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए कोई नियम,

(iij) वायुयान नियम, 1937 के नियम 5, 5क, 7, 8, 9, 12, 13, 13क, 18, 21, 26, 27, 29, 37, 65, 66, 70, 78, 133क, 134, 156, 157, 158, 158क और 159 ।

[सं० फा० ए. वी. 11015/6/71-ए.]

नवजीवन खोसला, संयुक्त सचिव ।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 10th January, 1972

G.S.R. 160.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Posts and Telegraphs (Clerks in Savings Bank Control and Internal Check Organisation) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs (Clerks in Savings Bank Control and Internal Check Organisation) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Posts and Telegraphs (Clerks in Savings Bank Control and Internal Check Organisation) Recruitment Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules), for Serial No. 2 relating to the posts of Upper Division Clerks in the Savings Bank Control and Internal Check Organisations in Circles and the entries relating thereto the following Serial No. and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"2. Upper Division Clerks in the Savings Bank Control and Internal Check Organisations in Circles.	General Central Services Class III Non-Gazetted (Ministerial).	Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300.	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11	12
Not applicable.	2 years	(i) 50% from Time Scale Clerks of Post Offices on the basis of a test. (ii) 30% from Lower Division Clerks of Savings Bank Control Organisation on the basis of a test. (iii) 20% from Lower Division Clerks of Savings Bank Control Organisation on the basis of seniority-*cum*-fitness.	*Promotion* : (a) Time Scale Clerks who are permanent or quasi-permanent in the grade and have put in not less than five years' continuous service and have satisfactory record of work and conduct. (b) Lower Division Clerks of the Audit office working in the Organisation with two years' satisfactory service. Note.—The condition of service does not apply to those who are graduates. (c) Other Lower Division Clerks in the Organisation who are permanent or quasi-permanent and have five years' continuous satisfactory service in the grade. (d) The crucial date for determining service limits will be the 1st July of the year of recruitment.	Not applicable	Not applicable

3. For Note 2 of the Notes appended to the Schedule to the said rules, the following Note shall be substituted, namely:—

"Note 2. If all the vacancies reserved for Lower Division Clerks are not taken by them, the unfilled vacancies may be offered to Time Scale Clerks".

4. Note 4 and Note 5 of the Notes appended to the Schedule to the said rules shall be omitted.

[No. 51/18/70-SPB-I.]

R. RAJAGOPALAN,
Asstt. Director General (SPN).

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

जी०एस०आर० 160.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय डाक-तार (बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन में लिपिक) भर्ती नियम, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्न-लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाक तार (बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन में लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय डाक-तार (बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन में लिपिक) भर्ती नियम, 1969 (जो इसके बाद से उक्त नियम कहलायेंगे) की अनुसूची में क्रमसंख्या 2 के लिए जो सर्कलों के बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन के उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों से सम्बंधित है तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमसंख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III गैर राजपत्रित (लिपिक वर्गीय) ।	130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300 रुपये	गैर चुनाव	लागू नहीं	लागू नहीं

7	8	9	10	11	12
लागू नहीं	2 वर्ष	(1) 50 प्रतिशत डाकघर के समय मान लिपिकों से परीक्षा के आधार पर । (2) 30 प्रतिशत बचत बैंक नियंत्रण संगठन के अवर श्रेणी लिपिकों से परीक्षा के आधार पर । (3) 20 प्रतिशत बचत बैंक नियंत्रण संगठन के अवर श्रेणी लिपिकों से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ।	**पदोन्नति** (क) वे समय मान लिपिक जो इस पदक्रम में स्थायी या स्थायियवत् हो तथा जिन्होंने लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो एवं जिनके कार्य तथ्य चरित्र का अभिलेख संतोषप्रद हो । (ख) लेखा परीक्षा कार्यालय के अवर श्रेणी लिपिक जो इस संगठन में दो वर्ष से संतोषप्रद सेवा कर रहे हों । टिप्पणी :—स्नातकों पर यह सेवा अवधि की शर्तें लागू नहीं है। (ग) संगठन के ऐसे अन्य अवर श्रेणी लिपिक जो अपने पदक्रम में स्थायी या स्थायियवत् हों तथा जिनकी उस पद में लगातार पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा हो ।	लागू नहीं	लागू नहीं

7	8	9	10	11	12
			(घ) सेवा अवधि की सीमा निर्धारित करने की नियत तारीख भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई गिनी जायेगी ।		

3. इस नियम की अनुसूची की अनुबन्धित टिप्पणियों की टिप्पणी-2 के लिए निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् :—

"टिप्पणी-2—अवर श्रेणी लिपिकों के लिए आरक्षित सभी स्थान यदि उनके द्वारा नहीं लिए गये तो न भरे जाने वाले स्थान समयमान लिपिकों को दे दिये जायेंगे ।

4. इस नियम की अनुसूची की अनुबन्धित टिप्पणियां की टिप्पणी-4 और टिप्पणी-5 को हटा दिया गया है ।

[सं० 51-18/70-एस०पी०पी०-1.]

आर० राजगोपालन,
सहायक महानिदेशक (एस०पी०एन०)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 10th January 1972

G.S.R. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Institute of Fisheries Education (Recruitment to Class III and IV posts) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries Education (Recruitment to Class III and IV posts) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Institute of Fisheries Education (Recruitment to Class III and IV posts) Rules 1968, against Serial No. 8 relating to the post of "Junior Clerk", for the entries in Columns 2, 8 and 10, following entries shall respectively be substituted, namely:—

(i) in Column 2.—"7 (Seven)";

(ii) in Column 8.—"Age : No;
Educational Qualifications: Yes";

(iii) in Column 10.—"90 per cent vacancies shall be filled by direct recruitment and 10 per cent vacancies shall be filled from amongst the Class IV employees, working in the same office, who are Matriculates, or possess equivalent qualification and have rendered five years' service in Class IV, on the basis of competitive examination, the maximum age limit for eligibility for the examination being 45 years (50 years for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees):

Provided that the maximum number of persons to be recruited by this method shall be limited to 10 per cent of the vacancies in a year, and unfilled vacancies shall not be carried over.".

[No. A-11020/17/71-EE. III.]

R. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 161:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मीन-उद्योग शिक्षा संस्थान (वर्ग 3 और 4 पदों के लिए भर्ती) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय मीन-उद्योग शिक्षा संस्थान (वर्ग 3 और 4 पदों के लिए भर्ती) संशोधन नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मीन-उद्योग शिक्षा संस्थान (वर्ग 3 और 4 पदों के लिए भर्ती) नियम, 1968 की अनुसूची में, "कनिष्ठ लिपिक" के पद से सबन्धित क्रम संख्या 8 के सामने, स्तम्भ 2, 8 और 10 में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) स्तम्भ 2 में — "7 (सात)" ;

(ii) स्तम्भ 8 में — "आयु : नहीं ;
शैक्षिक अर्हताएं : हां" ;

(iii) स्तम्भ 10 में "नब्बे प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी और दस प्रतिशत रिक्तियां उसी कार्यालय में कार्य करने

वाले ऐसे वर्ग 4 कर्मचारियों में से जो मैट्रिक उत्तीर्ण है, या जिनके पास समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने वर्ग 4 में पांच वर्ष सेवा की है, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी, परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष) है :

परन्तु इस पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष की रिक्तियों के दस प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी, और बिना भरी रिक्तियां आगे नहीं ले जाई जाएंगी।"

[संख्या ए-11020/17/71-वाह्य स्थापना-III]

रा० सुब्रह्मणियम, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 15th December 1971

G.S.R. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Publications Division (Class III posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Publications Division (Class III posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Publications Division (Class III posts) Recruitment Rules, 1968, against item 6 "Junior Store-keeper", for the existing entries in columns 2, 8, 10 and 11, the following entries shall be substituted, namely:—

(i) Column 2: 6
(ii) Column 8: Not applicable.
(iii) Column 10: Direct recruitment.
(iv) Column 11. Not applicable.

[No. A. 12018/3/70-Admn. I/DS(I).]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1971

जी० एस० आर० 162.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1968 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी–3 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी 3-पद) भर्ती नियमावली, 1968 की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 "जूनियर स्टोर कीपर" के सम्मुख कालम 2, 8, 10 और 11 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

(1) कालम 2 : 6
(2) कालम 8 : लागू नहीं होता।
(3) कालम 10 : सीधी भर्ती
(4) कालम 11 : लागू नहीं होता।

[सं०ए० 12018/3/70-प्रशासन-I/डी०एस० (आई)]

New Delhi, the 7th January 1972

G.S.R. 163.—It is hereby notified that in pursuance of sub-section (7) of section 4 of the Press Council Act, 1965 (34 of 1965), Shri Chandulal Chandrakar and Shri Anantrao Patil, members of the House of the People, have been nominated as members of the Press Council of India.

2. The Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1752 dated the 1st October, 1970, namely:—

In the said notification, against item 24, for the name "Shri Surendranath Dwivedy", the following name shall be substituted, namely:—

"Shri Chandulal Chandrakar".

[No. 20/5/70-Press]

S. PADMANABHAN, Dy Secy.

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

जी०एस०आर० 163.—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रस परिषद् अधिनियम, 1965 (1965 का 34) की धारा 4 की उपधारा (7) के अनुसरण में, लोकसभा के सदस्य श्री चन्दूलाल चन्द्राकर एवं श्री अनन्तराव पाटिल भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य नामजद किए गए हैं।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 1752 तारीख 1 अक्तूबर, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 24 के सम्मुख "श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'श्री चन्दूलाल चन्द्राकर'

[संख्या 20/5/70-प्रेस]

एस० पद्मनाभन्, उपसचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th January 1972

G.S.R. 164.—In the entry under column 12 of the Schedule to the Ministry of Information and Broadcasting's Notification No. 1/2/71-B(A), dated the 6th December, 1971, the words "ordinarily not exceeding three years" may be substituted for the words "not exceeding three years", after the words and sign "Period of deputation".

[No. 1/2/71-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

जी० एस० आर० 164.—सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/2/71-बी (ए), तारीख 6 दिसम्बर, 1971 की अनुसूची में कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टि में "प्रतिनियुक्ति की अवधि–" शब्दों और चिन्ह के पश्चात, "3 वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर "साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए ।

[संख्या एफ 1 / 2 / 71–बी(ए)]

ए० वी० नारायणन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 17th January 1972

G.S.R. 165.—Whereas it is necessary, in the interest of the shareholders of the insurers incorporated in India (hereafter referred to as an 'Indian insurer') having a share capital and, in the case of insurers having no share capital, of the policyholders who are members of such insurers whose management has been taken over by the Central Government under section 3 of the General Insurance (Emergency Provisions) Act, 1971 (17 of 1971) (hereafter referred to as the said Act), to regulate the manner in which the compensation payable to the insurers under section 6 of the said Act should be dealt with by the insurer;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 16 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the General Insurance (Emergency Provisions) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Nationalised Bank" means a corresponding new bank as defined in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(b) "Scheduled Bank" means a bank included for the time being in the Second Schedule to the Reserve Bank of India, Act 1934 (2 of 1934);

(c) "State Bank" means the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955).

3. **Compensation how to be dealt with.**—The compensation payable to an Indian insurer under section 6 of the said Act in respect of the vesting of the management of that insurer in the Central Government during the financial year 1971-72 or 1972-73, as the case may be, shall be dealth with by the insurer in the following manner, namely:—

(a) Seventy per cent. of every such payment of compensation shall be held by him in a separate deposit with a Scheduled Bank, Nationalised Bank or any branch of the State Bank for a period expiring not earlier than the 30th day of June, 1972, as security for reimbursing the Custodian of the insurer in respect of income-tax, and any other taxes or dues under any law for the time being in force which the insurer would be liable to pay on such compensation, assuming that the total income-tax and other such dues to which the insurer is assessed is distributed on such payment of compensation in the proportion which the total income-tax and other such dues to which he is assessed for the assessment year 1972-73 or 1973-74, as the case may be, bears to the total income assessed for income-tax for the relevant year, and no part of such deposit shall be withdrawn by the insurer save with the prior permission of the Controller of Insurance:

Provided that after any reimbursement required to be made to the Custodian in terms of this clause, any balance remaining shall be dealt with, after the 30th day of June, 1972 in the same manner as it would have been dealt with if it had been dealt with under clause (b).

(b) The balance of thirty per cent of the payment as aforesaid shall be dealt within such manner as the shareholders at a general meeting may decide.

[No. F. 93(48)-Ins. I/71.]

M. L. WADHAWAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 165.—यतः भारत में निगमित बीमाकर्ताओं (जिन्हें इस के पश्चात् "भारतीय बीमाकर्ता कहा गया है) के शेयरधारकों, जिनकी शेयर पूंजी है और ऐसे बीमाकर्ताओं के मामले में, जिनकी शेयर पूंजी नहीं है, पालिसीधारकों के, जो ऐसे बीमाकर्ताओं के सदस्य हैं, जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का 17) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अधीन ग्रहण कर लिया गया है, हितों में उस रीति को विनियमित करना आवश्यक है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन बीमाकर्ताओं को संदेय प्रतिकर बीमाकर्ता द्वारा बरता जाना चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंककारी कम्पनी (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) में यथापरिभाषित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ;

(ख) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत है ;

(ग) "स्टेट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है ।

3. **प्रतिकर से किस प्रकार बरता जाए.**—यथास्थिति, 1971-72 या 1972-73 वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार में उस बीमाकर्ता के प्रबन्ध के निहित होने की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी भारतीय बीमाकर्ता को संदेय प्रतिकर बीमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति से बरता जाएगा, अर्थात् :—

(क) प्रतिकर के ऐसे प्रत्येक संदाय का 70 प्रतिशत, आयकर और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अन्य कर या अन्य देय की बाबत, जो बीमाकर्ता ऐसे प्रतिकर पर संदाय करने के लिए दायी होगा, यह धारणा करते हुए कि वह कुल आयकर और अन्य ऐसे देय का, जिनके लिए बीमाकर्ता का निर्धारण किया जाए, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर उस अनुपात में वितरित किया जाए जो कुल आयकर और अन्य ऐसे देय का, जिनके लिए वह यथास्थिति, निर्धारण वर्ष 1972-73 या 1973-74 के लिए निर्धारित किया जाए उस कुल आय से सम्बन्धित है, जो सुसंगत वर्ष की बाबत आयकर के लिए निर्धारित की गई हो, बीमाकर्ता के अभिरक्षक को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिभूति के रूप में, उसके द्वारा किसी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में 30 जून, 1972 से पूर्व समाप्त न होने वाली अवधि के लिए अलग निक्षेप में रखा जाएगा और ऐसे निक्षेप का कोई भी भाग बीमाकर्ता द्वारा बीमा नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय निकाला नहीं जाएगा ;

परन्तु इस खण्ड के निबन्धनों में अभिरक्षक को की जाने वाली अपेक्षित कोई प्रतिपूर्ति के पश्चात् बचा हुआ कोई अतिशेष, 30 जून, 1972 के पश्चात् उसी रीति में, बरता जाएगा जैसे इसे बरता जाता, यदि इसे खण्ड (ख) के अधीन बरता गया होता ।

(ख) यथापूर्वोक्त संदाय के अतिशेष को तीस प्रतिशत ऐसी रीति में, जैसा शेयरधारक साधारण अधिवेशन में विनिश्चित करे, बरता जाएगा ।

[सं० फा० 63(48)—बीमा 1/71]

एम० एल० वधावन, उप-सचिव ।

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 21st January 1972

G.S.R. 166.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules (hereinafter referred to as the said rules), in clause I of rule 45-B, the words and figures "or is made applicable under the provisions of clause VII of that rule," shall be omitted.

3. In sub-clause (ii) of clause (b) of rule 81 of the said rules, the words "or to such Government servant attached to Kashgar Consulate-General, six months," shall be omitted.

4. Note 2 below rule 90 of the said rules shall be omitted.

5. In the Schedule to the said rules—

(i) in Explanation 1 below paragraph 5, for the words "His Majesty's civil or military service," the words "civil or military service" shall be substituted;

(ii) in the proviso to paragraph 6, for the words "service of His Majesty", the words "service of Government" shall be substituted.

[No. 18(13)-EIV(A)/70.]

V. K. PANDIT, Under Secy.

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 5th February 1972

G.S.R. 167.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 145-Customs, dated the 10th May, 1958, namely:—

In the said notification, after sub-item (g) of item (2), the following sub-item shall be inserted, namely:—

"(h) Rock drills."

[No. 25/F. No. 355/112/71-Cus.I.]

D. KRISHNAMURTI, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 167 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की, धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित, धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 10 मई, 1958 की अधिसूचना सं० 145-सीमा शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (2) की उपमद (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपमद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(ज) शैल वेधनी ।"

[सं० 25/फा० सं० 355/112/71-सीमा शुल्क 1]

डी० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

DANGEROUS DRUGS

New Delhi, the 5th February 1972

G.S.R. 168.—Whereas certain rules further to amend the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1957, were published as required by sub-section (1) of section 36 of the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930) at page 2899 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 17th July, 1971, under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G..S.R. 1046, dated the 17th July, 1971;

And whereas objections and suggestions were invited till the 16th August, 1971, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 19th July, 1971;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Third Amendment Rules, 1971.

2. In the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (i) of sub-rule (1) of rule 8—

(a) in sub-clause (a), for the words "exports of opium," the words and brackets "exports of opium, other than poppy shells (capsules) in any form," shall be substituted;

(b) after sub-clause (b), the following Note shall be inserted, namely:—

"NOTE.—For the purposes of sub-clauses (a) and (b), "poppy shells (capsules) in any form" shall be treated as dangerous drug other than opium."

3. In Table appended to rule 9 of the said rules, entry 2 shall be renumbered as entry 3 and before entry 3 as so renumbered, the following entry shall be inserted, namely:—

	Dangerous Drugs	Place to which exported	Port or ports from which exported.
2	Poppy Shells. (Capsules) in any form.	Any place outside India.	Bombay, Calcutta and Madras.

4. In clause (i) of sub-rule (1) of rule 14 of the said rules,—

(a) in sub-clause (a), for the words "exports of opium," the words and brackets "exports of opium, other than poppy shells (capsules) in any form," shall be substituted;

(b) after sub-clause (b), the following Note shall be inserted, namely:—

"NOTE.—For the purposes of sub-clauses (a) and (b), "poppy shells (capsules) in any form" shall be treated as dangerous drug other than opium."

5. In the Table appended to rule 15 of the said rules, under the heading "Dangerous Drugs" in the first column, for the word "opium," the words and brackets "opium, poppy shells (capsules) in any form" shall be substituted.

[No. 2/F. No. 32/1/66-OPIUM.]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

अनिष्टकर मादक-द्रव्य

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

जी० एस० आर० 168.—यतः अनिष्टकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और यानान्तरण) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम, अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2) की धारा 36 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 17 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1046 के अधीन, भारत के राजपत्र, तारीख 17 जुलाई, 1971, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) के पृष्ठ 2899 पर प्रकाशित किए गए थे ;

और यतः उन व्यक्तियों से, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य था, 16 अगस्त, 1971 तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 19 जुलाई, 1971 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से कोई भी आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब, अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अनिष्टकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और यानान्तरण) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम अनिष्टकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और यानान्तरण) तृतीय संशोधन नियम, 1971 होगा ।

2. अनिष्टकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और यानान्तरण) नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (i) में, —

(क) उपखंड (क) में, "अफीम के निर्यात" शब्दों के स्थान पर, "किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल) से भिन्न अफीम के निर्यात" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :—उपखंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, "किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल)" अफीम से भिन्न अनिष्टकर मादक द्रव्य समझे जाएंगे ।"

3. उक्त नियमों के नियम 9 से संलग्न सारणी में, प्रविष्टि 2 प्रविष्टि 3 के रूप में पुनः में संख्याकित की जाएगी और इस प्रकार पुनः संख्याकित प्रविष्टि 3 के पहले, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

अनिष्टकर मादक द्रव्य	स्थान जिसको निर्यात किया गया	पत्तन जिनसे निर्यात किया गया
2. किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल) ।	भारत से बाहर कोई स्थान ।	मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास ।

4. उपरोक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (i) में,—

(क) उपखंड (क) में, "अफीम के निर्यात" शब्दों के स्थान पर "किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल) से भिन्न, अफीम के निर्यात" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"टिप्पण :—उपखंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए "किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल)" अफीम के भिन्न अनिष्टकर मादक द्रव्य समझे जाएंगे ।"

5. उक्त नियमों के नियम 15 से संलग्न सारणी में, प्रथम स्तम्भ में "अनिष्टकर मादक द्रव्य" शीर्षक के नीचे, "अफीम" शब्द के स्थान पर, किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 2/फ० सं० 32/1/66-अफीम]

वि० रा० सोनालकर, उप-सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 5th February 1972

G.S.R. 169.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 116/69-Central Excises, dated the 3rd May, 1969, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial Number 15 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"16. Ethambutol Hydrochloride (Tibutol)."

[No. 18/72.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 169.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 3 मई, 1969 की अधिसूचना सं० 116/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"16. थाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड (टिबुटोल)"

[सं० 18/72]

पी० आर० कृष्णन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 15th January 1972

G.S.R. 170.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, under the heading "PART I CLASS III POSTS" in the entries against serial number 10 relating to the post of Draftsman Grade II—

(i) in column 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Diploma in Draftsmanship or I.T.I. Course certificate in Draftsman or Draftsmanship certificates awarded by the National Council for training in Vocational Trades";

(ii) in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely—

"(i) 50 per cent by promotion, failing which, by direct recruitment;

(ii) 50 per cent by direct recruitment;

(iii) failing (i) and (ii), by transfer."

[No. 5-PE(12)/71.]

JASWANT SINGH, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 170.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा मंगलोर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) के भर्ती नियमों, 1966 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद), भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में, भाग 1 वर्ग 3 के पद के अंतर्गत नक्शानवीस ग्रेड II के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 10 के सामने की प्रविष्टियों में—

(i) स्तम्भ 7 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : –

"नक्शानवीसी में डिप्लोमा अथवा नक्शानवीसी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र अथवा व्यावसायिक दस्तकारी में प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किया गया नक्शानवीसी प्रमाणपत्र"

(ii) स्तम्भ 10 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा,

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,

(iii) (i) तथा (ii) के न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा ।"

[सं० 5-पी०ई० (12) / 71]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 5th January 1972

G.S.R. 171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class IV posts in the Ministry of Foreign Trade, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Foreign Trade (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the posts specified in column 2 of the schedule annexed to Misc. rules.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached there to shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

5. **Interchangeability of posts.**—The posts having identical scales of pay and qualifications and similar duties may be declared interchangeable by the competent authority.

Explanation.—For the purposes of this rule, 'competent authority' means an authority which is competent to create such posts.

6. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

THE

Sl. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection posts	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Junior Gestetner Operator	2 (Two)	General Central Services, Class IV (Non Gazetted)	Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
	Selection Grade Daftry (Record Sorter)	5 (Five)	General Central Services, Class IV (Non-gazetted)	Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110.	Non Selection	Not applicable	Not applicable

SCHEDULE

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/Transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By promotion	By promotion from Daftries/Jamadars who passed middle school standard and have rendered at least 3 years' continuous service in that capacity and have proficiency in operating and maintaining gestetner machines.	Class IV DPC	Not applicable
Not applicable	Two years	By promotion	Daftries who have rendered at least 3 years' continuous service in that capacity.	Class IV DPC	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Daftry . .	40 (Forty)	General Central Services, Class IV (Non-Gazetted)	Rs. 75—1—85—EB—2—95	Non Selection	25 years and below	Middle School Standard pass.
4.	Jamadar . .	7 (Seven)	General Central Services, Class IV (Non-Gazetted)	Rs. 75—1—85—EB—2—95.	Non Selection	Not applicable	Not pplicable
5.	Peon . .	100 (One hundred)	General Central Services, Class IV (Non-Gazetted)	Rs. 70—1—80—EB—1—85.	Not applicable	25 years and below	Middle School Standard Pass.
6.	Packer . .	4 (Four)	General Central Services, Class IV (Non-gazetted)	Rs. 70—1—80—EB—1—85.	Not applicable	18-25 years	*Desirable*:—A pass in the Primary School Standard.
7.	Sweeper . .	5 (Five)	General Central Services, Class IV (Non-gazetted)	Rs. 70—1—80—EB—1—85.	Not applicable	25 years and below	*Desirable* :—A pass in the Primary School Sta
8.	Chowkidar . .	9 (Nine)	General Central Services, Class IV (Non-gazetted)	Rs. 70—1—80—EB—1—85.	Not applicable	25 years and below	*Desirable*:—A pass in the Primary School Standard.
9.	Messenger . .	1 (One)	General Central Services, Class IV (Non-gazetted)	Rs. 70—1—80—EB—1—85.	Not applicable	25 years and below.	*Desirable*:—A pass in the Primary School Standard.
10.	Unskilled Labourers	4 (Four)	General Central Services, Class IV (Non-gazetted)	Rs. 70—1—80—EB—1—85.	Not applicable	25 years and below	*Desirable*:—A pass in the Primary School Standard.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion of peons who have rendered at least 3 years' service in that capacity. By transfer of persons holding similar or equivalent posts in Central Government Offices and possessing qualifications specified in column 8.	Class IV DPC	Not applicable.
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion of peons who have rendered at least 3 years' service in that capacity.	Class IV DPC	Not applicable.
Not applicable	Two years	By Direct recruitment, failing which by transfer.	By transfer of persons holding similar or equivalent posts in Central Govt. Offices and possessing qualifications specified in column 8.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable	Two years	Direct recruitment, failing which by transfer.	By transfer of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government.	Not applicable	Not applicable.
Not applicable	Two years	Direct recruitment, failing which by transfer.	By transfer of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government.	Not applicable	Not applicable.
Not applicable	Two years	Direct recruitment, failing which by transfer.	By transfer of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government.	Not applicable	Not applicable.
Not applicable	Two years	Direct recruitment, failing which by transfer.	By transfer of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government.	Not applicable	Not applicable.
Not applicable	Two years	100% Direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

[No. A—12016/1/70—E. IV.]

PARMATAM SINGH, Deputy Director.

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 171.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विदेश व्यापार मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) ये नियम विदेश व्यापार मंत्रालय (चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम विविध नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**: —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वह होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 से 5 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबद्ध अन्य बातें वह होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 6 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थी के मामले में सीधी भर्ती के लिए विहित उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गये केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी।

5. **पदों की अदल-बदल** :—समान वेतनमान और अर्हताओं तथा समान कार्यों वाले पद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अदल-बदल योग्य घोषित किये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्राय एक ऐसे प्राधिकारी से है जो ऐसे पदों को स्थापित करने में सक्षम हो।

6. **निर्हताएं** :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण वे उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के पदों पर व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर	2(दो)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रित)	80-1-85-2-95 अ० रो०-3-110 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीध भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और अर्हैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	दफतरियों/जमादारों से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने माध्यमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण कर लिया हो और इस पद पर कम से कम लगातार तीन वर्ष सेवा की हो और गस्टटनर मशीन को चलाने और अनुरक्षण में प्रवीणता रखता हो।	वर्ग 4 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	चयन ग्रेड दफतरी (रिकार्ड मार्टर)	5 (पांच)	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 (अराजपत्रित)	80-1-85-95 द. रो-3-110 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	दफ्तरी	40 (चालीस)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, (अराजपत्रित)	75-1-85 द.रो. 2-95 रुपये	अचचन	25 वर्ष तथा उससे कम	माध्यमिक स्कूल उत्तीर्ण
4.	जमादार	7 (सात)	साधारण के न्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रित)	75-1-85- द.रो. 2-95 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5.	चपरासी	100 (सौ)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रित)	70-1-80 द.रों. 1-85 रुपये।	लागू नहीं होता	25 वर्ष तथा उससे कम	माध्यमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण
6.	पेकर	4 (चार)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रि त)	70—1—80 द, रो, —1—85 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष	वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण
7.	मेहतर	5 (पांच)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रि त)	70—1—80 द.रो. 1—85 रुपये	लागू नहीं होता	25 वर्ष तथा उससे कम	वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण
8.	चौकीदार	9 (नौ)	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 (अराजपत्रित)	70—1—80— द. रो. 1—85	लागू नहीं होता	25 वर्ष तथा उससे कम	वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण
9.	संदेश वाहक	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रित)	70—1—80— द. रो. —1—85 रुपये	लागू नहीं होता	25 वर्ष तथा उससे कम	वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण
10.	अकुशल श्रमिक	4 (चार)	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 (अराजपत्रित)	70—1—80— द. रो. 1—85	लागू नहीं होता	25 वर्ष तथा उससे कम	वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	दफ्तरी जिसने इस पद पर कम से कम लगातार तीन वर्ष सेवा की हो ।	वर्ग 4 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा इसके अभाव में अंतरण द्वारा और दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	उन चपरासियों की प्रोन्नति जिन्होंने उस पद पर कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो । उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समान अथवा समकक्ष पदों पर हो और स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों ।	वर्ग विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	उन चपरासियों की प्रोन्नति जिन्होंने उस पद पर कम से कम 3 वर्ष सेवा की हों ।	वर्ग 4 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा और इसके अभाव में अंतरण द्वारा	उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समान अथवा समकक्ष पदों पर हो और स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हो ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके अभाव में अंतरण द्वारा	उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार में समान/समकक्ष पदों पर हों ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके अभाव में अंतरण द्वारा	उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार में समान/समकक्ष पदों पर हों ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होना	दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके अभाव में अंतरण द्वारा	उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार में समान/समकक्ष पदों पर हों ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके अभाव में अंतरण द्वारा	उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार में समान/समकक्ष पदों पर हो ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होना	दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० क-12016/1/70-इ-4]

परमात्मम सिंह, उप निदेशक ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972